SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे

2024-25

खण्ड–I

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त लेखे

खण्ड-I

2024-25

छत्तीसगढ़ शासन

विषय–सूची

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड–I	
	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-v
	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiii
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
2.	प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4–6
	विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	7–11
3.	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	12–14
4.	समेकित निधि में व्यय का विवरण	
	कार्यात्मक व्यय	15–18
	व्यय का स्वरूप	19–20
5.	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	21–25
6.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	26–29
7.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	30–35
8	सरकार के निवेशों का विवरण	36
9.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	37
10.	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	38–40
11.	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	41
12.	वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	42–48
13.	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	49–53
	वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	54–72
	खण्ड–II	
	भाग– I	
14.	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	74–118
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	119–174
16.	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	175–380
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	381–399
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	400–438
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	439–466
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	467–475
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	476–489
22.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	490–494

विषय–सूची

खण्ड–II		पृष्ठ
भाग–II–परिशिष्ट		
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	496–503
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	504–510
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	511–573
IV	बाह्य सहायित परियोजनाओं की जानकारी	574–576
V	योजनाओं में व्यय	
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)	577–605
(ख)	राज्य योजनाएं	606–610
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियो का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियॉ (अलेखापरीक्षित आंकड़े))	611–619
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अंतशेषों का मिलान एवं स्वीकरण	620–621
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	622
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	623
IX	शासन की प्रतिबद्धताएं–अपूर्ण निर्माण कार्यो की सूची	624–649
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण	650–667
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	668–680
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण	681–683
XIII	राज्यों के पुनर्गठन–राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	684

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन–देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल है; खंड–I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड–II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2024–25 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ–साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ–साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 17 (ख) (i), 17 (ग) (i), 19 एवं विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियों) और परिशिष्ट (VIII, IX, XI तथा XII) सीधे छत्तीसगढ़ सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग–अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र कार्यालय हैं।

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 29 दिसम्बर 2025
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क शासकीय लेखे की संरचना का वृहद् सिंहावलोकन :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य शासन के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे के साथ विनियोग लेखे होते है, जो अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. शासकीय लेखे निम्नानुसार तीन भागों में रखा जाता है :–

भाग I–समेकित निधि : इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्डस्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियॉं, इत्यादि), भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए विधान मण्डल में मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं–राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। इन्हे पुनः 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है अर्थात, 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जैसे, 'वस्तु तथा सेवा कर', 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवा', इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है अर्थात, 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, 'खेल, 'कला एवं संस्कृति' इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है, जैसे–'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिकता निधि में अन्तरण'।

भाग II–आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2024–25 के लिए छत्तीसगढ़ शासन का आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ है।

भाग III–लोक लेखा : सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त सभी अन्य लोक धन राशि, जहाँ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे–अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (दोनों कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के छः क्षेत्र है, अर्थात 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्याादि', 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।

3. शासकीय लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे–मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजना को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति निहित है : (31 मार्च 2025 तक अद्यतित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार)

0005 से 1606	*राजस्व प्राप्तियाँ*
2011 से 3606	*राजस्व व्यय*
4000	*पूंजीगत प्राप्तियाँ*
4016 से 7810	*पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)*
7999	*आकस्मिकता निधि को विनियोजन*
8000	*आकस्मिकता निधि*
8001 से 8999	*लोक लेखा*

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

5. लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

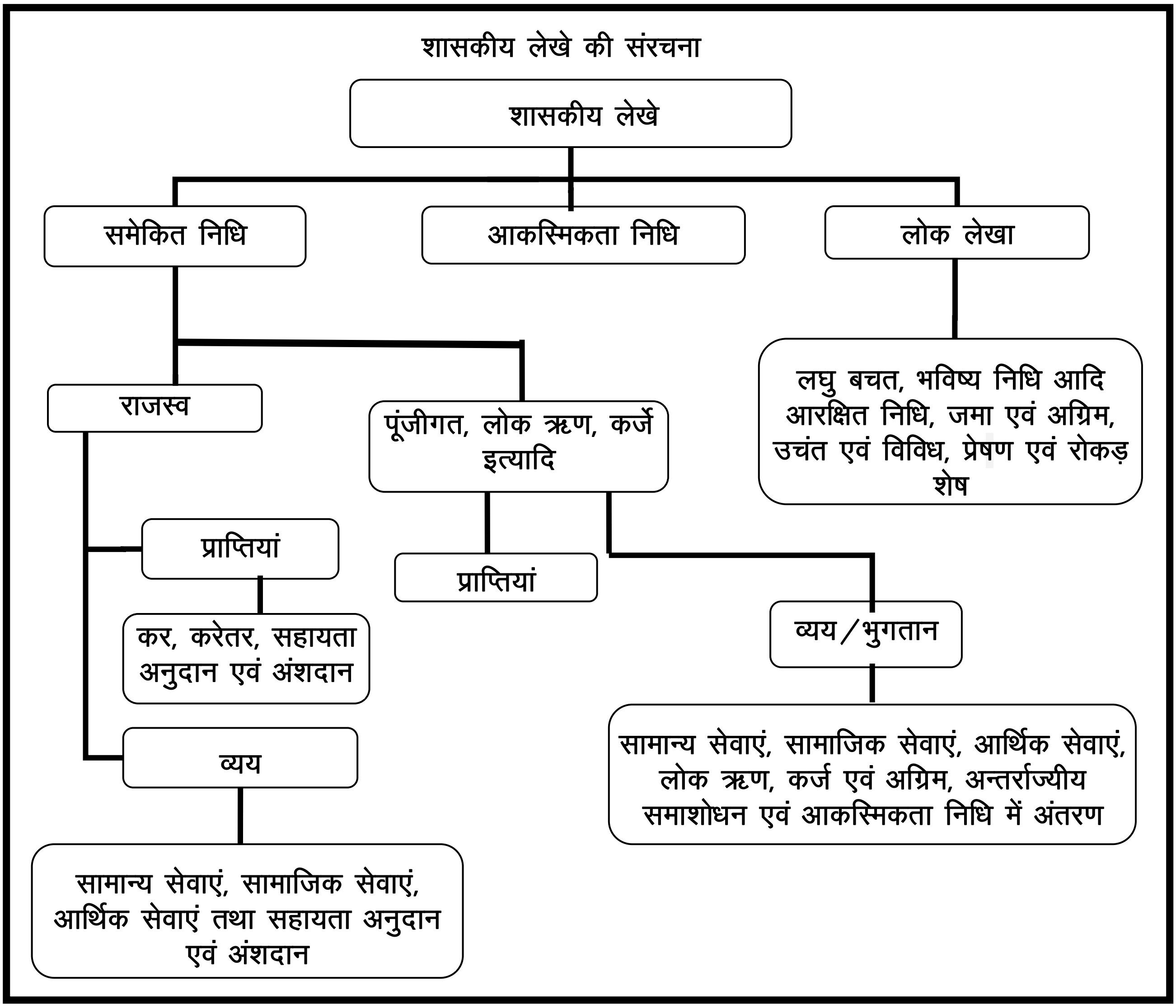

ख वित्त लेखे में क्या निहित है :–

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड–I में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित 13 विवरणियॉ एवं वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ सम्मिलित है। खण्ड–I में वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ तथा 13 विवरणियो का उल्लेख नीचे दिये गये है :

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** इस विवरण में वर्ष के अंत में राज्य शासन की आस्तियॉ एवं दायित्वों के संचयी ऑंकड़ों एवं विगत वर्षांत के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते है, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों का पुनर्भुगतान एवं लिए गये उधार सम्मिलित है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड–II में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय (व्यय का उद्देश्य) भी दर्शाता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप है।

6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण :** शासन के उधारों में उसके द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल है। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह खण्ड–II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप है।

7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियॉ, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित) को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप है।

8. **सरकार के निवेश का विवरण :** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में राज्य शासन के निवेशों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप है।

9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण:** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियॉ का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदानग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट–III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ मिलान में सहायता करती है।

12. **राजस्व लेखे के अलावा व्यय हेतु निधि का स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना अपेक्षित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की परिशुद्धता को स्थापित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड–II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के अनुरूप है।

वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेन–देन के वर्ग, शेष आदि के लिए प्रासंगिक अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखे के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार, भारत सरकार का लेखांकन मानकों का अनुपालन, लेखाओं का रूप, पूंजी एवं राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्त लेखे के खण्ड–I में वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां के भाग के रूप में सम्मिलित है।

वित्त लेखे के खण्ड–II के दो भाग है : भाग–I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग–II में 13 परिशिष्ट।

14. **राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड–I के सारांशित विवरण 3 के अनुरूप है। लघुशीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विवरण को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त यह विवरण केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उपशीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है।

15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण 4 के अनुरूप है, जो राज्य शासन के राजस्व व्यय को दर्शाता है। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्टतः पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–जारी

16. **पूंजीगत व्यय का लघुशीर्ष एवं उपशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण 5 के अनुरूप है, जो राज्य शासन के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत्त व्ययों को स्पष्टतः पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।

17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण–6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैंः (क) ऋणों का विवरण, (ख) परिपक्वता रूपरेखा अर्थात प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षो में देय राशि, (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर रूपरेखा एवं बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।

18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड–I के सारांशित विवरण 7 के अनुरूप है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में वर्ष के दौरान निवेश के कम्पनी वार एवं मुख्य एवं लघुशीर्ष वार निवेश का विवरण दर्शाता है, जहॉ विवरण 16 एवं 19 के मध्य अंतर है। यह विवरण खण्ड–I के विवरण 8 के अनुरूप है।

20 **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में सरकारी प्रत्याभूतियॉ का कम्पनी वार विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड–I के विवरण 9 के अनुरूप है।

21 **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर दर्शाया जाता है।

22 **उद्दिष्ट शेष के निवेश का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश का विवरण दर्शाया जाता है।

खण्ड–II के भाग–II

भाग–II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाहय् सहायित परियोजनाओं आदि सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विवरण, उप–शीर्ष अथवा निचले स्तर (अर्थात लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक लेखे में दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में दर्शाये नहीं जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका–समाप्त

परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड–I एवं II में 'विषय–सूची' में दर्शाये जाते है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणों एवं वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां वित्तीय स्थिति के साथ–साथ वर्ष के लिए शासन की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करती है।

ग सुलभ तालिका :

खण्ड–I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड–II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं)।

मापदण्ड	खण्ड–I	खण्ड–II	
	सारांशिकृत विवरण	विस्तृत विवरण	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
शासन द्वारा प्रदत्त कर्जे तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	..
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	8	19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13	..	..
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	..
प्रत्याभूतियॉ	9	20	..
योजनाएं	..	..	IV (बाहय् सहायित परियोजनाओं)

सारांशित विवरण

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

आस्तियॉ[1]	संदर्भ (सरल क्रमांक) वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	विवरण / परिशिष्ट	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
रोकड़			**13,368.36**	**13,797.24**
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	..	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2, 21	12.43	12.07
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	2, 21	0.34	0.34
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2, 21	3,730.78	5,933.48
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	5 (x)	2, 21	223.19	194.40
(vi) पृथक उद्दिष्ट निधियों से निवेश[2]	..	2, 21	9,401.62	7,656.95
पूंजीगत व्यय			**1,61,364.52**	**1,41,142.72**
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	..	5,8,16,19	7,241.97[3]	7,232.91
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5, 16	1,54,122.55	1,33,909.81
आकस्मिकता निधि व्यय (अप्रतिपूरित)	..	**21**	**37.42**	**13.47**
कर्जे और पेशगियां	..	**7, 18**	**1,949.08**	**1,664.85**
विभागीय अधिकारियों के पास पेशगियां	..	**21**	**7.10**	**7.10**
उचन्त और विविध शेष[4]	..	..	**0.00**	**0.00**
प्रेषण शेष	**5 (iv)**	**12, 21**	**2,138.69**	**351.50**
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	**..**		**0.00**	**0.00**
पूर्णांकन के कारण अंतर			**0.01**	**0.00**
योग	**..**	..	**1,78,865.18**	**1,56,976.88**

[1] आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां' के टीप 1(v) भी देखें।

[2] केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 8,925.91 करोड़ तथा छत्तीसगढ राज्य खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों ''छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित'', ''छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित'' एवं ''छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित'' के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 475.71 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[3] राज्य शासन की कंपनियों / निगमों इत्यादि का कुल अंशपूंजी निवेश ₹ 7,717.68 करोड़ है जिसमें से ₹ 7,241.97 करोड़ पूंजीगत शीर्षों से निवेश किया गया है एवं ₹ 475.71 करोड़ उद्दिष्ट निधि ''छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि'' से निवेश किया गया है।

[4] इस विवरण में ''उचंत एवं विविध'' के अन्तर्गत ''रोकड़ शेष निवेश लेखे'', ''विभागीय शेष'' एवं ''स्थायी रोकड़ अग्रदाय'' सम्मिलित नहीं है, जिसे पृथक से उपर दर्शाया गया है यद्यपि ये लेखे कहीं इस क्षेत्र का एक हिस्सा बनता है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्वों[5]	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां	विवरण / परिशिष्ट		
उधार (लोक ऋण)			**1,30,513.39**	**1,13,887.55**
(i) राज्य शासन का आंतरिक ऋण		**6, 17**	**1,11,559.54**	**95,140.18**
बाजार कर्जे	..	6, 17	1,03,032.09	86,032.09
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6, 17	522.16	609.17
वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	..	6, 17	5,853.68	5,891.43
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियॉं जारी	..	6, 17	2,151.61	2,607.49
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6, 17	0.00	0.00
(ii) केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियां		**6, 17**	**18,953.85**	**18,747.37**
आयोजनेतर कर्जे	..	6, 17	0.55	0.55
राज्य / संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6, 17	1,516.94	1,761.21
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6, 17	0.19	0.19
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6, 17	0.00	0.00
1984–85 पूर्व के कर्जे	..	6, 17	0.68	0.68
राज्य / विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	..	6, 17	17,435.49[6]	16,984.74
आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	..	**21**	**100.00**	**100.00**
लोक लेखा पर दायित्व			**32,368.22**	**28,130.69**
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	..	12,17,21	12,529.16	10,848.71
(ii) जमा	..	12,17,21	6,752.32	6,405.35
(iii) आरक्षित निधियां	..	12,21,22	12,818.53	10,694.70
(iv) प्रेषण शेष	..	..	0.00	0.00
(v) उचंत और विविध शेष	5(iv)	12, 21	268.21[7]	181.93
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य[8]	..	..	**15,883.57**	**14,858.64**
पूर्णांकन के कारण अंतर			**0.00**	**0.00**
योग	..	..	**1,78,865.18**	**1,56,976.88**

[5] आस्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' के टीप 1 (v) देखें।

[6] वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक CCA/FIN/PAO (SL)/RP.details/2024–25 / 60 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य को प्रदत्त ऋण के पुनर्भुगतान के कारण ₹ 5,966.29 करोड़ (वर्ष 2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं वर्ष 2024–25 के ₹ 2,272.73 करोड़) की कमी हुई।

[7] इसमें मुख्यशीर्ष 8658–'उचंत लेखा' का अंतशेष ₹ 211.03 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8670–'चेक्स तथा बिल' का अंतशेष ₹ 57.18 करोड़ सम्मिलित है।

[8] व्यय पर प्राप्तियों का संचयी अधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय / राजस्व आधिक्य को प्रदर्शित नहीं करते है। आंकड़े ''पूंजीगत एवं अन्य व्यय'' तथा ''निधियो के मुख्य स्त्रोत'' के निवल से निकाले गए है। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

टीप : वास्तविक आंकड़े का पूर्णांकिंत आंकड़ा तथा विवरण में पूर्णांकित किए गए आंकड़े के मध्य अंतर पूर्णांकन के कारण है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2024–25	2023–24		2024–25	2023–24
भाग–1 समेकित निधि					
अनुभाग क–राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	**1,20,290.35**	**1,03,508.20**	**राजस्व व्यय** (संदर्भ–विवरण 4क,4ख एवं 16)	**1,25,389.82**	**1,14,740.96**
			वेतन[1] (संदर्भ–विवरण 4ख एवं परिशिष्ट I)	30,252.82[2,3]	27,669.25
कर राजस्व (राज्य द्वारा उठाये गये) (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	44,764.99	38,786.22	आर्थिक सहायता[1] (संदर्भ–विवरण 4ख एवं परिशिष्ट II)	16,539.20[4]	10,796.88
			सहायता अनुदान[1,5] (संदर्भ–विवरण 4ख, 10 एवं परिशिष्ट III)	47,848.68* [6]	48,188.95
करेत्तर राजस्व (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	**17,420.52**	**15,147.97**	**सामान्य सेवायें** (संदर्भ–विवरण 4 एवं 15)	**20,502.29**[7]	**18,880.01**
ब्याज प्राप्तियां (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	348.08	175.16	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क,4ख एवं 15)	9,432.35	7,213.34
अन्य (संदर्भ–विवरण 3)	17,072.44	14,972.81	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ (संदर्भ–विवरण 4क,4ख एवं 15)	8,510.74[8]	9,111.82
			अन्य (संदर्भ–विवरण 4ख)	2,559.21	2,554.85
संघीय करों / शुल्कों का अंश (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	**43,844.17**	**38,481.88**	**सामाजिक सेवायें** (संदर्भ–विवरण 4क एवं 15)	**5,009.42**	**3,439.14**
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क एवं 15)	**3,880.09**	**4,469.16**
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	**14,260.67**	**11,092.13**	**स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन** (संदर्भ–विवरण 4क एवं 15)	**1,357.32*** [9]	**1,297.57**
राजस्व घाटा	**5,099.47**	**11,232.76**	**राजस्व आधिक्य**	**0.00**	**0.00**

* वितरित सहायता अनुदान में ₹ 47,848.68 करोड़ एवं सकल व्यय ₹ 1,427.32 करोड़ 3604–14 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

---

[1] समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के ऑकड़ों के योग किए गये है। इस विवरण में ''सामान्य'', ''सामाजिक'' एवं ''आर्थिक'' सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं है (पादटीप 2, 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित)।

[2] उद्देश शीर्ष 01–वेतन एवं 07–कार्यभारित / आकस्मिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 29,799.95 करोड़ एवं ₹ 452.87 करोड़ सम्मिलित है।

[3] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 7,141.01 करोड़, ₹ 20,700.10 करोड़ एवं ₹ 2,411.71 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।

[4] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 81.39 करोड़, ₹ 46.62 करोड़ एवं ₹ 16,411.19 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।

[5] शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्व संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते है जो ऊपर दिखाये अनुसार सम्मिलित है। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे पृथक रूप में ''स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समपुदेशन'' के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

[6] सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत सहायता अनुदांन क्रमशः ₹ 961.94 करोड़, (इसमें उद्देश्य शीर्ष–55 ''जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान'' के अन्तर्गत दर्ज किये गये ₹ 8.69 करोड़ सम्मिलित है) ₹ 26,215.28 करोड़ एवं ₹ 20,671.46 करोड़ है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 4 ख, 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक–III देखें।

[7] ऑफ बजट दायित्व पर ₹ 718.49 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है।

[8] इस राशि में विस्तृत शीर्ष–12–पेंशन एवं सेवानिवृति लाभ ₹ 8,171.59 करोड़, 25–सामग्री और पूर्तियॉ ₹ 5.88 करोड़, 37–अंतः लेखा अन्तरण–छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि में अंतरण–के अन्तर्गत दर्ज व्यय– ₹ 340.00 करोड़, तथा 40–घटाएं वसूलियॉ ₹(–)6.73 करोड़ सम्मिलित हैं।

[9]* वर्ष 2024–25 में राज्य शासन द्वारा दिये गये सहायता अनुदान ₹ 1,427.32 करोड़ जिसमें से ₹ 70.00 करोड़ पंचायत भू–राजस्व उपकर एवं स्टाम्प डयूटी निधि को स्थानांतरित किया गया।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2024–25	2024–24		2024–25	2023–24
अनुभाग ख–पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियां (संदर्भ–विवरण 3 एवं 14)	**4.81**	**5.01**	**पूंजीगत व्यय** (संदर्भ–विवरण 4क, 4ख एवं 16)	**20,054.62**[10]	**15,418.93**
			सामान्य सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क एवं 16)	1,183.53	884.24
			सामाजिक सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क एवं 16)	8,421.78	7,074.24
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क एवं 16)	10,449.31[11]	7,460.45
कर्जे तथा पेशगियों की वापसी (संदर्भ–विवरण 3, 7 एवं 18)	**23.62**	**24.96**	**कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण** (संदर्भ–विवरण 4क, 7 एवं 18)	**321.66**	**311.50**
सामान्य सेवायें	0.00	0.00	सामान्य सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क, 7 एवं 18)	0.00	0.00
सामाजिक सेवायें	0.00	0.50	सामाजिक सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क, 7 एवं 18)	273.66	215.90
आर्थिक सेवायें	23.60	24.40	आर्थिक सेवायें (संदर्भ–विवरण 4क, 7 एवं 18)	48.00	95.60
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.02	0.06	शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियां (संदर्भ–विवरण 3, 6 एवं 17)	**33,462.79**	**54,049.73**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** (संदर्भ–विवरण 4क, 6 एवं 17)	**10,870.67**	**24,112.96**
आन्तरिक ऋण[12] (बाजार कर्जे इत्यादि) (संदर्भ–विवरण 3, 6 एवं 17)	27,045.76	50,258.45	आन्तरिक ऋण[12] (बाजार कर्जे इत्यादि) (संदर्भ–विवरण 4क, 6 एवं 17)	10,626.40	23,873.11
भारत सरकार से कर्जे (संदर्भ–विवरण 3, 6 एवं 17)	6,417.03	3,791.28	भारत सरकार से कर्जे (संदर्भ–विवरण 4क, 6 एवं 17)	244.27	239.85
अंतर्राज्यीय परिशोधन	**(–)0.20**	**0.65**	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**(–)0.11**	**0.46**
			आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	..	..
योग–समेकित निधि प्राप्तियां (संदर्भ–विवरण 3)	**1,53,781.37**	**1,57,588.55**	**योग–समेकित निधि व्यय**	**1,56,636.66**	**1,54,584.81**
राजकोषीय घाटा (क)	**25,447.41**	**26,933.03**	**राजकोषीय आधिक्य**	..	..
समेकित निधि में कमी	**2,855.29**	**0.00**	**समेकित निधि में आधिक्य**	**0.00**	**3,003.74**

[10] इसमें वेतन के ₹ 62.23 करोड़ एवं कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना के ₹ 60.53 करोड़ के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित है।

[11] मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 200.00 करोड़) तथा 4810 (₹ 1.20 करोड़) में वर्गीकृत कुल पूंजीगत व्यय ₹ 201.20 करोड़, 'विद्युत विकास निधि', मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 427.64 करोड़ 'छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि' तथा मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 262.17 करोड़ 'केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि तथा मुख्यशीर्ष 4059 (₹ 63.89 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 5054 (₹ 41.96 करोड़) के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 105.85 करोड़ का पूंजीगत व्यय अधोसंरचना विकास निधि तथा पर्यावरण विकास निधि से प्रतिपूर्ति किया गया।

[12] वर्ष 2024–25 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु मूलधन तथा ब्याज क्रमशः ₹ 455.88 करोड़ एवं ₹ 240.18 करोड़ का भुगतान किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 6 का व्याख्यात्मक टिप्पणियॉं का पैरा 2 देखें।

(क) राजकोषीय घाटा=(राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण+अंतर्राज्यीय परिशोधन+आकस्मिकता निधि को विनियोजन)–(राजस्व प्राप्तियां+विविध पूंजीगत प्राप्तियां+कर्जे तथा पेशगियों की वापसी+अंतरराज्यीय परिशोधन)

* अंतर्राज्यीय परिशोधन लेखे– यह मुख्यशीर्ष 7810 के अन्तर्गत राज्यों/राज्यों एवं संघ के मध्य, जहॉं कहीं भी लागू हो, वित्तीय परिशोधन से संबंधित आंकड़े को दर्शाता है।

** इसका उपयोग तभी किया जाएगा केवल जब आकस्मिकता निधि के कॉपर्स में वृद्धि/कमी (+/–) हो।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2024—25	**2023—24**		**2024—25**	**2023—24**
भाग—II—आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	**112.89**	**63.49**	**आकस्मिकता निधि**	**136.84**	**76.96**
भाग—III—लोक लेखा[13]					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,420.26	3,222.13	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,739.81	1,700.40
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	7,736.06	7,292.47	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	7,356.89	6,526.46
जमा	2,696.31	2,848.20	जमा	2,349.35	2,589.78
पेशगियां	1,045.12	712.10	पेशगियां	1,045.12	712.20
उचंत तथा विविध	3,26,674.01	2,00,606.38	उचंत तथा विविध[14]	3,24,385.38	2,06,111.10
प्रेषण	2,816.06	5,309.37	प्रेषण	4,603.25	5,362.21
पूर्णांकन के कारण अंतर	0.00	0.00	पूर्णांकन के कारण अंतर	0.00	0.00
योग—लोक लेखा प्राप्तियां	**3,44,387.82**	**2,19,990.65**	**योग—लोक लेखा व्यय**	**3,41,479.80**	**2,23,002.15**
लोक लेखा में घाटा	**0.00**	**3,011.50**	**लोक लेखा में आधिक्य**	**2,908.02**	**0.00**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	**194.40**	**215.63**	**रोकड़ का अंतशेष**	**223.19**	**194.40**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**28.79**	**0.00**	**रोकड़ शेष में कमी**	**0.00**	**21.23**

[13] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड—II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

[14] उचंत एवं विविध में ''अन्य लेखे'' जैसे—रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखाओं के कारण आंकड़े वृहद परिलक्षित होता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

टीप : वास्तविक आंकड़े का पूर्णांकिंत आंकड़ा तथा विवरण में पूर्णांकित किए गए आंकड़े के मध्य अंतर पूर्णांकन के कारण है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क–सामान्य रोकड़ शेष			
(1)	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2)	रिजर्व बैंक में जमा[15]	223.19[16]	194.40
योग		**223.19**	**194.40**
(3)	'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया निवेश	3,730.77	5,933.48
योग–(क)–सामान्य रोकड़ शेष		**3,953.96**	**6,127.88**
ख–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–			
(1)	विभागीय अधिकारियों जैसे–वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	12.43	12.07
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
(3)	पृथक उदिष्ट निधियों का निवेश	9,401.62[17]	7,656.95
योग–(ख)–अन्य रोकड़ शेष और निवेश–		**9,414.39**	**7,669.36**
योग (क) एवं (ख)		**13,368.35**	**13,797.24**

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य :– रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित ''भारतीय रिजर्व बैंक'' जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।

(ख) दैनिक रोकड़ शेष :– रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार राज्य शासन को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि शेष राशि, किसी भी दिवस मे करार के अनुसार निश्चित न्यून्तम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय–समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 09 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लिया जाकर न्यूनतम शेष ₹ 0.72 करोड़ रखा गया।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन–देनों (भारतीय रिज़र्व बैंक के शाखाओं, अंतः सरकार लेन–देनों तथा अभिकर्त्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन–देनों) के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक आकलन करती है। इस तरह आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते हुए अधिक शेष यदि हो, तो

---

[15] ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के 4 अप्रैल 2025 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

[16] मार्च 2025 के लेखे बंद होने पर लेखे में दर्शित राशि ₹ 223.19 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 234.97 करोड़ (जमा) के मध्य ₹ 11.78 करोड़ (जमा) का अन्तर था। जून 2025 के लेखे बंद होने के उपरान्त, उक्त अंतर ₹ 0.89 करोड़ (जमा) था, जो पुनर्मिलान के अधीन है।

[17] इसमें भारत सरकार के प्रतिभूति और कोषालय देयक में ₹ 8,925.91 करोड़ एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों की अंशपूंजी मे ₹ 475.71 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

उसे ट्रेजरी बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा क्रेडिट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्षण हेतु आवेदन करता है।

(ग) **आहरण सुविधा की सीमा (डब्ल्यू.एम.ए.) :** 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक ₹ 1,056.00 करोड़ एवं 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,434.00 करोड राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गवर्नमेंट सिक्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा (जिसे पहले विशेष अर्थोपाय अग्रिम के नाम से जाना जाता था) देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय–समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2024	4,393.74
02.04.2024 से 07.04.2024	4,400.55
08.04.2024 से 09.04.2024	4,401.44
10.04.2024 से 16.04.2024	4,400.52
17.04.2024	4,399.31
18.04.2024	4,405.45
19.04.2024 से 28.04.2024	4,400.82
29.04.2024 से 03.05.2024	4,401.19
04.05.2024 से 05.05.2024	4,400.26
06.05.2024 से 08.05.2024	4,401.20
09.05.2024	4,260.51
10.05.2024 से 12.05.2024	4,262.23
13.05.2024	4,262.50
14.05.2024	4,263.19
15.05.2024 से 19.05.2024	4,262.47
20.05.2024 से 21.05.2024	4,589.93
22.05.2024	4,259.12
23.05.2024	4,252.95
24.05.2024	4,259.28
25.05.2024 से 26.05.2024	4,254.48
27.05.2024 से 28.05.2024	4,254.50
29.05.2024	4,286.99
30.05.2024 से 01.06.2024	5,205.16
02.06.2024	5,194.87
03.06.2024 से 04.06.2024	5,205.26
05.06.2024 से 06.06.2024	5,205.43
07.06.2024 से 12.06.2024	5,209.41
13.06.2024 से 14.06.2024	6,127.39

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा–समाप्त

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
15.06.2024	6,125.56
16.06.2024 से 17.06.2024	6,117.44
18.06.2024	6,136.40
19.06.2024	6,132.36
20.06.2024	5,878.30
21.06.2024	5,878.29
22.06.2024 से 23.06.2024	5,877.96
24.06.2024 से 25.06.2024	5,878.29
26.06.2024	5,878.28
27.06.2024 से 30.06.2024	6,124.00
01.07.2024 से 30.09.2024	5,650.07
01.10.2024 से 31.12.2024	6,664.84
01.01.2025 से 22.01.2025	8,203.19
23.01.2025	7,677.76
24.01.2025 से 26.01.2025	7,678.29
27.01.2025	7,680.04
28.01.2025	7,680.87
29.01.2025	7,681.45
30.01.2025 से 05.03.2025	8,203.19
06.03.2025	7,429.75
07.03.2025 से 09.03.2025	7,430.18
10.03.2025	7,431.82
11.03.2025	7,433.07
12.03.2025	7,432.69
13.03.2025	7,433.62
14.03.2025	7,434.35
15.03.2025 से 16.03.2025	7,435.06
17.03.2025	7,436.00
18.03.2025	7,436.03
19.03.2025	7,437.01
20.03.2025	6,437.47
21.03.2025 से 23.03.2025	6,438.07
24.03.2025	6,439.51
25.03.2025	6,439.76
26.03.2025	6,440.47
27.03.2025	6,441.21
28.03.2025	6,441.83
29.03.2025	6,442.14
30.03.2025	6,442.51
31.03.2025	6,442.83

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण–जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक–जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश–जारी

अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षण पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार ब्याज प्रभारित होता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज का विवरण

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
2.	90 दिवस से अधिक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट (+) एक *प्रतिशत*
3.	विशेष आहरण सुविधा–समेकित निक्षेप निधि/गारंटी मोचन निधि से जुड़ी प्रतिभूतियां	रेपो रेट (–) दो *प्रतिशत*
4.	विशेष आहरण सुविधा–अन्य प्रतिभूतियां–नीलामी कोषालय बिल	रेपो रेट (–) एक *प्रतिशत*
5.	साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शत *प्रतिशत* तक अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) दो *प्रतिशत*
6.	साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शत *प्रतिशत* से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट (+) पॉच *प्रतिशत*

वर्ष 2024–25 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

तालिका : रेपो रेट का विवरण

अवधि	रेपो रेट
01.04.2024 से 06.02.2025	6.50 *प्रतिशत*
07.02.2025 से 31.03.2025	6.25 *प्रतिशत*

वर्ष 2024–25 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहॉ तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई	356
(ii)	दिनों की सख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई	9
(iii)	दिनों की सख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष मे कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नही लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए	निरंक

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—समाप्त
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—समाप्त
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—समाप्त

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राप्त विशेष अर्थोपाय अग्रिम, साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षण का विवरण

(₹ करोड़ में)

माह	विशेष आहरण सुविधा		अर्थोपाय अग्रिम		अर्थोपाय अग्रिम—अधिविकर्षण	
	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि
अप्रैल / 2024	..	..	..	..	..	..
मई / 2024	..	..	..	..	..	..
जून / 2024	..	..	..	..	..	..
जुलाई / 2024	..	..	..	..	..	..
अगस्त / 2024	..	..	..	..	..	..
सितम्बर / 2024	..	..	..	..	..	..
अक्टूबर / 2024	03	347.86	..	..	..	..
नवम्बर / 2024	..	..	..	..	..	..
दिसम्बर / 2024	..	..	..	..	..	..
जनवरी / 2025	..	..	..	..	..	..
फरवरी / 2025	06	1,232.91	..	..	..	..
मार्च / 2025	..	..	..	..	..	..
योग	**09**	**1,580.77**	**..**	**..**	**..**	**..**

(घ) **31 मार्च 2025 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :**

तलिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के कोषालय बिल	3,730.77
	योग	**3,730.77**

(ड) वर्ष 2023–24 मे ₹ 26.41 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2024–25 के दौरान रोकड़ शेष निवेशो पर ₹ 290.47 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

(च) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण क्रमांक–19–''सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण'' में दिये गये है।

(छ) पृथक उद्धिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण क्रमांक–22–''उद्धिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण'' में दर्शाई गई है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2024–25	2023–24
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(क)	**कर राजस्व–**		
क.1	**स्वयं के कर राजस्व–**	**44,764.99**	**38,786.23**
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	16,298.59	13,793.29
	होटल प्राप्ति कर	0.08	0.35
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.36	0.47
	भू–राजस्व	819.04	847.80
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2,968.94	2,494.18
	राज्य उत्पाद शुल्क	10,141.84	8,430.41
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,880.33	6,513.48
	वाहन कर	2,317.99	2,048.20
	माल तथा यात्री कर	274.58	73.28
	विद्युत कर तथा शुल्क	5,063.24	4,584.77
क.2	**संघीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश**	**43,844.17**	**38,481.88**
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	12,805.19	11,678.76
	निगम कर	12,441.04	11,550.56
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	15,866.04	13,339.34
	सीमा शुल्क	2,230.61	1,348.55
	संघ उत्पाद शुल्क	429.34	510.32
	सेवा कर	1.41	7.18
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	70.54	47.17
	योग–(क)	**88,609.16**	**77,268.11**
(ख)	**करेत्तर राजस्व–**		
	ब्याज प्राप्तियां	348.08	175.16
	अन्य–		
	लाभांश तथा लाभ	1.49	3.84
	लोक सेवा आयोग	1.06	0.87
	पुलिस	70.29	60.64
	जेल	4.03	4.48
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.41	3.80
	लोक निर्माण कार्य	16.85	21.32
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	65.34	43.60
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	11.65	12.84
	विविध सामान्य सेवायें	154.82	8.19
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	72.37	32.59
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	123.98	35.30
	जलपूर्ति तथा सफाई	30.05	1.52
	आवास	21.63	6.80
	शहरी विकास	85.42	167.96
	सूचना तथा प्रचार	0.06	0.02
	श्रम तथा रोजगार	40.04	34.44
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8.86	7.67

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2024–25	2023–24
I. कर तथा करेत्तर राजस्व			
(ख)	**करेत्तर राजस्व–समाप्त**		
	अन्य–समाप्त		
	अन्य सामाजिक सेवाएं	23.55	29.19
	फसल कृषि–कर्म	38.16	32.88
	पशु पालन	7.85	6.91
	मछली पालन	7.65	6.97
	वानिकी और वन्य प्राणी	868.26	811.28
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	2.98	1.53
	सहकारिता	2.49	2.68
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.43	1.37
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13.27	5.33
	वृहद् सिंचाई	456.70	448.80
	मध्यम सिंचाई	6.98	4.15
	लघु सिंचाई	292.90	342.10
	कोयला एवं लिग्नाइट	5,143.96[1]	0.00
	ग्राम तथा लघु उद्योग	7.07	4.92
	उद्योग	8,367.83	10.58
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,097.18[2]	12,795.35
	अन्य उद्योग	0.00	0.01
	सड़क तथा सेतु	1.50	1.19
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.32	21.71
	योग–अन्य	**17,072.43**	**14,972.83**
	योग–(ख)	**17,420.51**	**15,147.99**
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान–			
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान–**		
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं		
	केन्द्रीय सहायता/अंशदान	11,798.34	8,176.99
	बाहय सहायित परियोजना–केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमो के लिए अनुदान[3]	12.82	40.63
	योग–केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	**11,811.16**	**8,217.62**
	वित्त आयोग अनुदान		
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,185.25	1,125.00
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	303.29	373.50
	राज्य आपदा राहत निधि के लिए सहायता अनुदान	380.80	181.60

[1] इसमें कोल ब्लॉक की निलामी से प्राप्त ₹ 1,895.48 करोड़ सम्मिलित है।

[2] इसमें कोल के अलावा अन्य मुख्य खनिजों के निलामी से प्राप्त ₹ 8.06 करोड़ सम्मिलित है।

[3] कृपया विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–II के परिशिष्ट IV देखें।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2024–25	2023–24
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान–समाप्त**		
	वित्त आयोग अनुदान–समाप्त		
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	0.00	90.80
	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	80.25	0.00
	योग–वित्त आयोग अनुदान	**1,949.59**	**1,770.90**
	राज्य/विधान मण्डल वाले संघ/राज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान		
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	145.06	156.77
	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	33.24	0.00
	केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान	177.28	353.60
	विशेष सहायता	16.70	6.22
	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	127.62	587.02
	योग– राज्य/विधान मण्डल वाले संघ/राज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	**499.90**	**1,103.61**
	योग–ग	**14,260.65**	**11,092.13**
	योग–राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	**1,20,290.32**	**1,03,508.23**
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां			
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**		
	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	4.81	5.01
	योग–घ	**4.81**	**5.01**
ड.	**लोक ऋण प्राप्तियां**		
	आन्तरिक ऋण	**27,045.76**	**50,258.45**
	बाजार कर्जे	24,500.00	32,000.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	964.99[4]	1,587.44
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियॉ	0.00	0.00
	91 दिवस जमा पर विशेष आहरण सुविधा	1,580.77	16,671.01
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियॉ	**6,417.03**	**3,791.28**
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	6,417.03	3,791.28
	योग–ड.	**33,462.79**	**54,049.73**
च	**राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगियॉ (वसूलियां[5])**	**23.62**	**24.96**
छ	**अंतर्राज्यीय परिशोधन**	**(–)0.20**	**0.65**
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां[6] (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	**1,53,781.34***	**1,57,588.58**

[4] ₹ 964.99 करोड़ का ऋण राष्ट्रीय कृषि बैंक (₹ 942.03 करोड़) एवं राष्ट्रीय आवासीय बैंक (₹ 22.96 करोड़) से प्राप्त किया गया।

[5] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I में विवरण कमांक 7 एवं खण्ड– II में विवरण संख्या 18 देखें।

[6] विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड–I में विवरण कमांक 2, 6 एवं 7 तथा खण्ड–II में विवरण कमांक 14, 17 एवं 18 देखें।

* वास्तविक आंकड़ों (15,37,81,37,23,723.04) का पूर्णांकित आंकड़ा तथा विवरण में पूर्णांकित किये गये आंकड़े के मध्य ₹ 0.03 करोड़ का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

क–कार्यात्मक व्यय (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
क	**सामान्य सेवायें**				
क.1	**राज्य के अंग**	**788.71**	**0.00**	**0.00**	**788.71**
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	68.83	0.00	0.00	68.83
	राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	14.38	0.00	0.00	14.38
	मंत्रि–परिषद	68.88	0.00	0.00	68.88
	न्याय प्रशासन	624.16	0.00	0.00	624.16
	निर्वाचन	12.46	0.00	0.00	12.46
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**	**1,831.20**	**0.00**	**0.00**	**1,831.20**
	भू–राजस्व	1,004.68	0.00	0.00	1,004.68
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	126.77	0.00	0.00	126.77
	राज्य उत्पाद शुल्क	113.94	0.00	0.00	113.94
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	108.25	0.00	0.00	108.25
	वाहन कर	126.83	0.00	0.00	126.83
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	350.73	0.00	0.00	350.73
क.3	**ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा**	**9,432.35**	**0.00**	**0.00**	**9,432.35**
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	480.00	0.00	0.00	480.00
	ब्याज की अदायगियाँ	8,952.35	0.00	0.00	8,952.35
क.4	**प्रशासनिक सेवाएं**	**7,640.77**	**1,183.53**	**0.00**	**8,826.25**
	लोक सेवा आयोग	23.40	0.00	0.00	23.40
	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	347.78	0.00	0.00	347.78
	जिला प्रशासन	422.77	0.00	0.00	422.77
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	101.26	0.00	0.00	101.26
	पुलिस	5,672.15	853.59	0.00	6,527.69
	जेल	180.67	0.00	0.00	180.67
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	7.49	0.14	0.00	7.63
	लोक निर्माण–कार्य	650.89	275.83	0.00	926.72
	सतर्कता	6.13	0.00	0.00	6.13
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	228.23	53.97	0.00	282.20
क.5	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**	**8,993.60**	**0.00**	**0.00**	**8,993.60**
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8,510.74	0.00	0.00	8,510.74
	विविध सामान्य सेवाएं	482.86	0.00	0.00	482.86
	योग–क–सामान्य सेवाएं	**28,686.63**	**1,183.53**	**0.00**	**29,872.11**

टीप : वास्तविक पूर्णांकित आंकड़े एवं विवरण में दर्शाये गये आंकडों के मध्य का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

क–कार्यात्मक व्यय–जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ख	**सामाजिक सेवाएं**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)**	**21,708.47**	**199.28**	**0.00**	**21,907.75**
	सामान्य शिक्षा	21,326.74	307.28	0.00	21,526.02
	तकनीकी शिक्षा	250.92	(–)128.05[1]	0.00	250.92
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	65.10	19.74	0.00	65.10
	कला एवं संस्कृति	65.71	0.31	0.00	65.71
ख.2	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण**	**8,294.36**	**677.92**	**0.00**	**8,972.28**
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7,966.57	677.92	0.00	8,644.49
	परिवार कल्याण	327.79	0.00	0.00	327.79
ख.3	**जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**	**8,433.95**	**7,103.14**	**273.66**	**15,810.75**
	जलपूर्ति तथा सफाई	303.34	3,429.35	17.21	3,749.90
	आवास	6,719.22	839.90	0.00	7,559.12
	शहरी विकास	1,411.39	2,833.89	256.45	4,501.73
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**	**476.00**	**0.89**	**0.00**	**476.89**
	सूचना तथा प्रचार	476.00	0.89	0.00	476.89
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण**	**195.35**	**359.46**	**0.00**	**554.81**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	195.35	359.46	0.00	554.81
ख.6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**	**334.10**	**0.00**	**0.00**	**334.10**
	श्रम तथा रोजगार	334.10	0.00	0.00	334.10
ख.7	**समाज कल्याण तथा पोषण**	**12,494.29**	**63.07**	**0.00**	**12,557.36**
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11,131.43	63.07	0.00	11,194.50
	पोषण	670.86	0.00	0.00	670.86
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	692.00	0.00	0.00	692.00
ख.8	**अन्य**	**34.88**	**18.01**	**0.00**	**52.89**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	13.24	18.01	0.00	31.25
	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	21.64	0.00	0.00	21.64
	योग–ख–सामाजिक सेवाएं	**51,971.40**	**8,421.77**	**273.66**	**60,666.83**

[1] ₹ (-)128.05 करोड़ का ऋणात्मक आंकड़ा ₹ 185.80 करोड़ की अव्ययित राशि की वसूली के कारण है तथा वास्तविक व्यय ₹ 57.75 करोड़ है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

क–कार्यात्मक व्यय–जारी (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं–**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध क्रिया–कलाप**	**26,776.46**	**128.61**	**48.00**	**26,953.07**
	फसल कृषि कर्म	13,909.91	7.73	0.00	13,917.64
	मृदा तथा जल संरक्षण	54.93	19.49	0.00	74.42
	पशुपालन	502.05	4.95	0.00	507.00
	मछली पालन	128.53	1.77	0.00	130.30
	वनिकी तथा वन्य प्राणी	1,590.40	12.11	0.00	1,602.51
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	10,019.03	0.96	0.00	10,019.99
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	279.36	62.96	0.00	342.32
	सहकारिता	265.45	18.64	48.00	332.09
	अन्य कृषि कार्यक्रम	26.80	0.00	0.00	26.80
ग.2	**ग्राम विकास**	**4,705.10**	**653.21**	**0.00**	**5,358.31**
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	645.81	0.00	0.00	645.81
	ग्राम रोजगार	1,177.64	0.00	0.00	1,177.64
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,881.65	653.21	0.00	3,534.86
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ग.4	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**	**624.55**	**2,005.38**	**0.00**	**2,629.93**
	वृहद सिंचाई	115.66	565.41	0.00	681.07
	मध्यम सिंचाई	418.17	105.45	0.00	523.62
	लघु सिंचाई	90.72	1,259.03	0.00	1,349.75
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	0.00	75.49	0.00	75.49
ग.5	**ऊर्जा**	**9,265.50**	**629.94**	**0.00**	**9,895.44**
	बिजली	9,209.37	388.94	0.00	9,598.31
	नई तथा अक्षय ऊर्जा	56.13	241.00	0.00	297.13
ग.6	**उद्योग तथा खनिज**	**966.35**	**513.63**	**0.00**	**1,479.98**
	ग्राम तथा लघु उद्योग	238.77	512.33	0.00	751.10
	उद्योग	681.22	0.00	0.00	681.22
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	46.36	1.30	0.00	47.66
ग.7	**परिवहन**	**792.48**	**6,336.90**	**0.00**	**7,129.38**
	नागर विमानन	0.48	37.60	0.00	38.08
	सड़क तथा सेतु	792.00	6,288.66	0.00	7,080.66
	सड़क परिवहन	0.00	10.64	0.00	10.64
ग.8	**संचार**	**88.91**	**9.56**	**0.00**	**98.47**
	अन्य संचार सेवाएं	88.91	9.56	0.00	98.47

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

क–कार्यात्मक व्यय–समाप्त (₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	**आर्थिक सेवाएं–समाप्त**				
ग.9	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण**	**13.94**	**46.07**	**0.00**	**60.01**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13.94	46.07	0.00	60.01
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**	**141.15**	**126.01**	**0.00**	**267.16**
	सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	37.28	0.00	0.00	37.28
	पर्यटन	58.96	125.88	0.00	184.84
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	35.18	0.00	0.00	35.18
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.73	0.13	0.00	9.86
	योग–ग–आर्थिक सेवाएं	**43,374.44**	**10,449.31**	**48.00**	**53,871.75**
घ	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,357.32	0.00	0.00	1,357.32
	योग–घ–सहायता अनुदान तथा अंशदान	**1,357.32**	**0.00**	**0.00**	**1,357.32**
ङ.	**लोक ऋण–**				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	10,626.40	10,626.40
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00	244.27	244.27
	योग–ङ–लोक ऋण	**0.00**	**0.00**	**10,870.67**	**10,870.67**
च	**अंतर्राज्यीय परिशोधन–**	**0.00**	**0.00**	**(-)0.11**	**(-)0.11**
छ	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग–समेकित निधि व्यय		**1,25,389.79**	**20,054.61**	**11,192.22**	**1,56,636.62**[2]

.

[2] वास्तविक आंकड़ों का पूर्णांकित आंकड़ा (₹ 1,56,636.67 करोड़) तथा विवरण में पूर्णांकित किये गये आंकड़े के मध्य ₹ 0.05 करोड़ का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण–जारी

ख–व्यय का स्वरूप (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2024–25			2023–24		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14–सहायक अनुदान[3]	49,267.31	0.00	49,267.31	49,556.05	10.00	49,566.05
2	01–वेतन भत्ते, आदि[4]	29,799.95	62.23	29,862.18	27,260.76	64.14	27,324.90
3	35–ब्याज/ऋण अदायगी	..	..	..	7,357.93	24,285.76	31,643.69
	001–ऋण अदायगी	529.26[5]	14,796.98[6]	15,326.24	..	..	..
	002–ब्याज	8,952.35[7]	0.00	8,952.35	..	..	..
4	13–आर्थिक सहायता	16,539.20	0.00	16,539.20	10,796.88	0.00	10,796.88
5	12–पेंशन एवं हितलाभ	8,172.12	0.00	8,172.12[8]	8,839.95	0.00	8,839.95
6	97–निर्माण कार्य	0.00	5,212.58	5,212.58	0.00	4,874.83	4,874.83
7	26–वृहद निर्माण कार्य	0.00	5,007.71	5,007.71	0.00	4,768.58	4,768.58
8	45–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	0.00	2,811.82	2,811.82	0.00	3,597.45	3,597.45
9	37–अंतः लेखा अन्तरण	2,607.90	(–)0.11	2,607.79	2,729.99	0.46	2,730.45
10	25–सामग्री और पूर्तियॉ	2,505.22	0.00	2,505.22	2,341.31	0.69	2,342.00
11	27–लघु निर्माण कार्य	155.89	2,153.16	2,309.05	715.88	1,914.37	2,630.25
12	30–अंशदान	1,284.21	0.00	1,284.21	727.47	0.00	727.47
13	04–कार्यालय व्यय	1,114.12	2.00	1,116.12	979.85	12.26	992.11
14	29–भूमि एवं भवन की खरीदी	0.00	1,071.59	1,071.59	0.00	31.84	31.84
15	24–अनुरक्षण कार्य	1,071.39	0.00	1,071.39	1,076.60	4.38	1,080.98
16	02–मजदूरी	1,044.28	0.01	1,044.29	1,079.67	0.01	1,079.68
17	11–छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	1,025.42	0.00	1,025.42	967.76	0.00	967.76
18	10–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ	674.38	2.63	677.01	541.04	5.40	546.44
19	42–बीमा	592.22[9]	0.00	592.22	710.34	0.00	710.34
20	07–कार्य भारित/आकस्मिकता स्थापना[10]	452.87	60.53	513.40	408.49	54.94	463.43
21	09–विज्ञापन एवं प्रचार	499.60	0.00	499.60	752.55	0.00	752.55
22	31–क्षतिपूर्ति	35.82	369.87	405.69	23.54	142.69	166.23
23	36–कर्ज तथा अग्रिम	0.00	321.66	321.66	0.00	311.50	311.50
24	43–निर्वाचन व्यय	284.46	0.00	284.46	177.92	0.00	177.92
25	28–मशीन और उपकरण	0.75	189.46	190.21	12.04	292.64	304.68

[3] विवरण कमांक 02 में दर्शाए गए सहायता अनुदान उद्देश्य शीर्ष 14– ''सहायता अनुदान'' एवं 55– ''जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान'' सम्मिलित है। इसमें सहायता अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

[4] विवरण कमांक 02 में दर्शाए गए वेतन के आंकड़ों में उद्देश शीर्ष 01–'वेतन भत्ते, आदि' एवं 07– 'कार्य भारित/आकस्मिकता स्थापना' सम्मिलित है।

[5] इसमें मुख्यशीर्ष 2216 (₹ 123.27 करोड़), मुख्यशीर्ष 2217 (₹ 98.92 करोड़) तथा मुख्यशीर्ष 2801 (₹ 307.07 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज किए गए प्रारंभिक शेष ₹ 529.26 करोड़ के मूलधन के पुनर्भुगतान पर व्यय सम्मिलित है।

[6] यह राशि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्राप्त ₹ 195.00 करोड़ एवं ₹ 800.00 करोड़ के ऋण पर राज्य शासन द्वारा किये गये मूलधन के भुगतान ₹ 138.74 करोड़ एवं ₹ 653.61 करोड़, छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्त ₹ 800.00 करोड़ के ऋण के लिए ₹ 519.97 करोड़, दाऊ कल्याण सिह सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल द्वारा राज्य शासन की ₹ 64.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरूद्ध प्राप्त ऋण के लिए ₹ 14.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम मर्यादित द्वारा ₹ 5,225.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरूद्ध प्राप्त ऋण के लिए ₹ 2,600.00 करोड़ तथा ₹ 10,870.67 करोड़ लोक ऋण के पुनर्भुगतान को दर्शाती है।

[7] इसमें मुख्यशीर्ष 2049 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 8,952.35 करोड़ के ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है।

[8] मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 8,171.59 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन की राशि ₹ 0.53 करोड़ सम्मिलित है।

[9] इसमें मुख्यशीर्ष 2052 (₹ 0.28 करोड़), 'पुलिस कर्मी कल्याण योजना' 2055 (₹ 14.09 करोड़), 'विद्यार्थी बीमा दुर्घटना योजना', 2202 (₹ 6.40 करोड़), 2204 (₹ 0.02 करोड़) 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' 2401 (₹ 571.16 करोड़) एवं 2405 (₹ 0.27 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित है।

[10] कृपया पादटीप कमांक 04 देखें।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—समाप्त

ख—व्यय का स्वरूप (₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2024—25			2023—24		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
26	32—निवेश	0.00	188.88	188.88	0.00	89.26	89.26
27	34—वाहनों का क्रय	0.00	161.25	161.25	26.89	96.80	123.69
28	18—पारितोषिक	125.53	0.00	125.53	75.63	0.00	75.63
29	03—यात्रा भत्ता	91.79	1.49	93.28	78.08	1.47	79.55
30	74—मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	73.97	0.00	73.97	37.35	0.00	37.35
31	17—सम्मेलन	66.45	0.00	66.45	57.81	0.00	57.81
32	05—प्रशिक्षण	57.38	0.00	57.38	71.69	0.00	71.69
33	89—परिवहन व्यय	52.00	0.00	52.00	56.06	0.00	56.06
34	22—शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	45.84	0.00	45.84	38.12	0.00	38.12
35	06—सर्वेक्षण	7.62	27.26	34.88	26.71	17.77	44.48
36	15—डिक्री धन का भुगतान	23.42	8.86	32.28	4.68	15.83	20.51
37	19—गोपनीय सेवा व्यय	17.44	0.00	17.44	17.45	0.00	17.45
38	63—स्टॉक	13.73	0.00	13.73	13.24	0.00	13.24
39	86—कोचिंग / प्रतियोगितायें	13.65	0.00	13.65	14.26	0.00	14.26
40	57—आतिथ्य व्यय	9.53	0.00	9.53	4.92	0.00	4.92
41	50—मंत्री के मोटर गाड़ियो हेतु पेट्रोल	9.00	0.00	9.00	10.45	0.00	10.45
42	55—जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान[11]	8.69	0.00	8.69	8.34	0.00	8.34
43	72—साज सज्जा पर व्यय	8.32	0.00	8.32	5.86	0.00	5.86
44	08—प्रकाशन	7.99	0.00	7.99	19.19	0.00	19.19
45	33—औजार एवं सयंत्र	4.54	0.03	4.57	3.49	0.03	3.52
46	90—पारिश्रमिक	3.20	0.00	3.20	1.67	0.00	1.67
47	52—सुसज्जित आवासो हेतु बिजली एवं पानी	2.64	0.00	2.64	2.56	0.00	2.56
48	49—दैनिक भत्ते	1.15	0.00	1.15	1.77	0.00	1.77
49	48—निर्वाचन भत्ता	1.07	0.00	1.07	1.65	0.00	1.65
50	69—गैर शासकीय मानदेय	0.97	0.00	0.97	0.91	0.00	0.91
51	21—साक्षियों पर व्यय	0.73	0.00	0.73	0.48	0.00	0.48
52	85—जॉच एवं अनुसंधान	0.04	0.00	0.04	0.07	0.00	. 0.07
53	98—एस.एन.ए. मॉडल के अंतर्गत समायोजन	0.00	0.00	0.00	(-)67.97	0.00	(-)67.97
	योग (सकल) (1)	1,27,255.41	32,449.90	1,59,705.31	1,17,567.38	40,593.10	1,58,160.48
	घटाइयें—पुर्नप्राप्तियॉ (योग) (2)	(-)1,865.59	(-)1,203.07	(-)3,068.66	(-)2,826.43	(-)976.64	(-)3,803.07
निवल योग (1+2)		**1,25,389.82**	**31,246.83**	**1,56,636.65**	**1,14,740.95**	**39,616.46**	**1,54,357.41**

[11] कृपया पादटीप क्रमांक 03 देखें।

टीप : वास्तविक आंकड़ों का पूर्णांकित आंकड़ा (₹ 1,56,636.66 करोड़) तथा विवरण में पूर्णांकित किये गये आंकड़े के मध्य ₹ 0.01 करोड़ का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2023–24 के दौरान व्यय	2023–24 तक प्रगामी व्यय	2024–25 के दौरान व्यय	2024–25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024–25 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	163.67	870.49	853.59	1,724.09	(+)421.53
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	5.32	0.14	5.46	(+)16.67
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	617.00	3,995.46	275.83	4,271.29	(–)55.29
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	103.46	167.09	53.97	221.06	(–)47.83
योग–क–सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**884.25**	**5,038.36**	**1,183.53**	**6,221.90**	**(+)33.85**
ख–सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा**					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,360.90	7,435.71	199.28	7,634.99	(–)85.36
योग–(क)–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		**1,360.90**	**7,435.71**	**199.28**	**7,634.99**	**(–)85.36**
(ख)	**स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा**					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	581.30	5,080.43	677.92	5,758.35	(+)16.62
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	16.31	0.00	16.31	0.00
योग–(ख)–स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		**581.30**	**5,096.74**	**677.92**	**5,774.66**	**(+)16.62**
(ग)	**जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा**					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,107.05	9,604.77	3,429.35	13,034.12	(+)10.37
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	86.85	1,160.40	839.90	2,000.31	(+)867.07
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,470.45	8,817.49	2,833.89	11,823.38[1]	(+)92.72
योग (ग)–जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		**4,664.35**	**19,582.66**	**7,103.14**	**26,857.81**	**(+)52.29**
(घ)	**सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा**					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.72	2.66	0.89	3.55	(+)23.61
योग–(घ)–सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा		**0.72**	**2.66**	**0.89**	**3.55**	**(+)23.61**

[1] विवरण कमांक 13 के कम संख्या 04 में दर्शाए गए पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से ₹ 172.00 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2016–17 से 2023–24 तक की अवधि के दौरान नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त ₹ 172.00 करोड़ के ऋण को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र कमांक एफ–2–25–2024/32 दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से पूंजीगत व्यय के रूप में समायोजित किया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2023—24 के दौरान व्यय	2023—24 तक प्रगामी व्यय	2024—25 के दौरान व्यय	2024—25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024—25 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त						
(ङ)	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा**					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	331.68	5,110.88	359.46	5,470.34	(+)8.38
योग—(ड़)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		**331.68**	**5,110.88**	**359.46**	**5,470.34**	**(+)8.38**
(च)	**समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा**					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	115.80	933.86	63.07	996.93	(–)45.54
योग—(च)—समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		**115.80**	**933.86**	**63.07**	**996.93**	**(–)45.54**
(छ)	**अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा—**					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	19.48	478.17	18.01	496.19	(–)7.55
योग—(छ)—अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**19.48**	**478.17**	**18.01**	**496.19**	**(–)7.55**
योग—ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**7,074.23**	**38,640.68**	**8,421.77**	**47,234.47**[2]	**(+)19.05**
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—						
(क)	**कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—**					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1.74	65.61	7.73	73.35	(+)344.25
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	17.77	434.23	19.49	453.72	(+)9.68
4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.65	93.09	4.95	98.04	(+)200.00
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.72	29.63	1.77	31.40	(+)2.91
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	33.04	531.05	12.11	543.17	(–)63.35
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	1.35	84.81	0.96	85.77	(–)28.89
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	59.42	223.98	62.96	286.94	(+)5.96
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	69.82	443.18	18.64	457.12[3]	(–)73.30
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00
योग—(क)—कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा		**186.51**	**1,909.81**	**128.61**	**2,033.74**[4]	**(–)31.04**

[2] ₹ 172.00 करोड़ की वृद्धि हुई। विवरण के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप क्रमांक 1 देखें।
[3] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.70 करोड़ की कमी की गई।
[4] सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.70 करोड़ की कमी की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2023–24 के दौरान व्यय	2023–24 तक प्रगामी व्यय	2024–25 के दौरान व्यय	2024–25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024–25 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–जारी						
(ख)	**ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा**					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	929.02	7,350.12	653.21	8,003.33	(–)29.69
योग–(ख)–ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		**929.02**	**7,350.12**	**653.21**	**8,003.33**	**(–)29.69**
(घ)[5]	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा**					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	450.86	9,686.79	565.41	10,252.20	(+)25.41
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	125.98	2,323.91	105.45	2,429.36	(–)16.30
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	861.32	14,945.34	1,259.03	16,204.37	(+)46.17
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	471.52	0.00	471.52	0.00
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	49.87	247.60	75.49	323.09	(+)51.37
योग–(घ)–सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		**1,488.03**	**27,675.16**	**2,005.38**	**29,680.54**	**(+)34.77**
(ड)	**ऊर्जा का पूंजीगत लेखा**					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	623.43	8,611.63	388.94	9,000.57	(–)37.61
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	625.15	3,905.01	241.00	4,146.01	(–)61.45
योग–(ड़)–ऊर्जा का पूंजीगत लेखा		**1,248.58**	**12,516.64**	**629.94**	**13,146.58**	**(–)49.55**
(च)	**उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा**					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	68.12	819.82	512.33	1,332.04[6]	(+)652.10
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	47.99	0.00	47.99	0.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.96	5.92	1.30	7.22	(+)35.42
4854	सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	26.35	0.00	26.35	0.00
योग–(च)–उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		**69.08**	**915.42**	**513.63**	**1,428.94[6]**	**(+)643.53**

[5] उपक्षेत्र 'ग' 'विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत लेखा' के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

[6] हाथकरघा समियो पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.11 करोड़ की कमी की गई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2023–24 के दौरान व्यय	2023–24 तक प्रगामी व्यय	2024–25 के दौरान व्यय	2024–25 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2024–25 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की प्रतिशतता
ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा–जारी						
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	0.82	238.73	37.60	276.32	(+)4,485.37
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,466.99	45,541.29	6,288.66	51,829.95	(+)81.39
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	7.19	72.74	10.64	83.37	(+)47.98
योग–(छ)–परिवहन का पूंजीगत लेखा		**3,475.00**	**45,852.76**	**6,336.90**	**52,189.64**	**(+)82.36**
(ज)	**संचार का पूंजीगत लेखा**					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	845.83	9.56	855.39	(+)100.00
योग–(ज)– संचार का पूंजीगत लेखा		**0.00**	**845.83**	**9.56**	**855.39**	**(+)100.00**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा**					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.07	19.10	46.07	65.17	(+)1,400.65
योग–(झ)–विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा		**3.07**	**19.10**	**46.07**	**65.17**	**(+)1,400.65**
(ञ)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	60.97	374.38	125.88	500.26	(+)106.46
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.19	4.26	0.13	4.39	(–)31.58
योग–(ञ)–सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**61.16**	**378.80**	**126.01**	**504.81**	**(+)106.03**
योग–ग–आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		**7,460.45**	**97,463.64**	**10,449.31**	**1,07,908.14**[7]	**(+)40.06**
महायोग		**15,418.93**	**1,41,142.68**[8]	**20,054.61**	**1,61,364.51**[9,10]	**(+)30.06**

7 सहकारी समितियों/बैंकों के ₹ 4.70 करोड़ एवं हाथकरघा समितियों के ₹ 0.11 करोड़ के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.81 करोड़ की कमी हुई।

8 वास्तविक पूर्ण आंकड़ा का पूर्णांकित आंकड़ा ₹ 1,41,142.71 करोड़ है। ₹ 0.03 करोड़ का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

9 अंतशेष में ₹ 167.19 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2016–17 से 2023–24 तक नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए ₹ 172.00 करोड़ के ऋण को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र कमांक एफ–2–25–2024/32 दिनांक 17.03.2025 के अनुसार पूंजीगत व्यय में समायोजित किये जाने के कारण ₹ 172.00 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे विवरण कमांक 13 के कम संख्या 04 में दर्शाया गया है तथा सहकारी समितियों के ₹ 4.70 करोड़ एवं हाथकरघा समितियों के ₹ 0.11 करोड़ के पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.81 करोड़ की कमी हुई।

10 वास्तविक आंकड़ों का पूर्णांकित (₹ 1,61,364.52 करोड़) आंकड़ा तथा विवरण में पूर्णांकित किये गये आंकड़े (₹ 1,61,364.51 करोड़) के मध्य ₹ 0.01 करोड़ का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण–समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणियॉ

1. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय से वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनीयों/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंशपूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 7,447.77 करोड़, ₹ 7,533.61 करोड़ तथा ₹ 7,717.68[11] करोड़ है।

2. उक्त निवेश से वर्ष 2022–23 में ₹ 6.20 करोड़, वर्ष 2023–24 में ₹ 3.84 करोड़ तथा 2024–25 में ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।

3. अन्य जानकारियॉ विवरण क्रमांक 19–सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

[11] वर्ष 2024–25 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से किए गए संयुक्त उपक्रम कम्पनियॉ ''छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित'', ''छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे मर्यादित'' के अंशपूंजी में ₹ 120.00 करोड़ तथा 'छत्तीसगढ़ रेलवे निगम मर्यादित' के अंशपूंजी में ₹ 55.00 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण
(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों[1] का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियॉं	31 मार्च 2025 को शेष	निवल वृद्धि(+)/कमी(–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(क)–लोक ऋण							
6003–राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाज़ार कर्ज	86,032.09	24,500.00	7,500.00	1,03,032.09	(+)17,000.00	(+)19.76	67.25
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	609.17	0.00	87.01	522.16	(–)87.01	(–)14.28	0.34
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	5,891.43	964.99	1,002.74	5,853.68	(–)37.75	(–)0.64	3.82
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,607.49	0.00	455.88	2,151.61	(–)455.88	(–)17.48	1.40
विशेष आहरण सुविधा	0.00	1,580.77	1,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00
योग–6003	**95,140.18**	**27,045.76**	**10,626.40**	**1,11,559.54**	**(+)16,419.36**	**(+)17.26**	**72.81**
6004–केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिम							
01–योजनेतर कर्ज	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
02–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,761.21	0.00	244.27	1,516.94	(–)244.27	(–)13.87	0.99
03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
07–1984–85 पूर्व के कर्ज	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
09–राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	11,018.46[3]	6,417.03	0.00	17,435.49[2]	(+)6,417.03	(+)58.24	11.38
योग–6004	**12,781.09[3]**	**6,417.03**	**244.27**	**18,953.85**	**(+)6,172.76**	**(+)48.30**	**12.37**
योग–लोक ऋण	**1,07,921.27**	**33,462.79**	**10,870.67**	**1,30,513.39**	**(+)22,592,12**	**(+)20.93**	**85.18**

[1] विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 381 से 399 में दिए गए है।

[2] वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य के पुनर्भुगतान दायित्वों के बिना ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 (₹ 836.27 करोड़) एवं 2021–22 (₹ 1,271.59 करोड़) के दौरान प्रदत्त ₹ 2,107.86 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण सम्मिलित है।

3. वित्त मंत्रालय के पत्र कमांक CCA/FIN/PAO (SL)/RP.details/2024–25/60 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य को प्रदत्त ऋण के पुनर्भुतान के कारण विवरण कमांक 13 कम संख्या 7 में दर्शाए गए ₹ 5,966.29 करोड़ (वर्ष 2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं वर्ष 2024–25 के ₹ 2,272.73 करोड़) की कमी हुई।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–जारी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2025 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (–)		कुल दायित्वों का *प्रतिशत*
					राशि	*प्रतिशत*	
(ख)–अन्य दायित्व–							
लोक लेखा–							
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	10,848.71	3,420.26	1,739.81	12,529.16	(+)1,680.45	(+)15.49	8.18
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	697.48	5,700.40	4,975.09	1,422.79	(+)725.31	(+)103.99	0.93
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	2,340.27	2,035.65	2,381.80	1,994.12	(–)346.15	(–)14.79	1.30
ब्याज वाली जमा	1.16	62.58	68.72	(–)4.98	(–)6.14	(–)529.31	0.00
बिना ब्याज वाली जमा	6,404.18	2,633.74	2,280.63	6,757.29	(+)353.11	(+)5.51	4.41
योग–(ख) अन्य दायित्व	**20,291.80**	**13,852.63**	**11,446.05**	**22,698.38**	**(+)2,406.58**	**(+)11.86**	**14.82**
योग–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**1,28,213.07**[4]	**47,315.42**	**22,316.72**	**1,53,211.77**	**(+)24,998.70**	**(+)19.50**	**100.00**

(ii) विवरण क्रमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। नई निधि वर्ष 2011–12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। इस निधि में राज्य सरकार का अंशदान गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.50 *प्रतिशत* रहेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे– विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2024 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2025 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	3,701.94	480.00	0.00	4,181.94

मार्च 2025 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 4,181.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

2. अल्प बचत निधि से कर्ज : डाक घर में ''अल्प बचत योजना'' तथा ''लोक भविष्य निधि'' के संग्रहण से कर्जों का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्जे विमुक्त करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999–2000 में गठित की गई। चौदहवे वित्त आयोग

---

[4] वित्त मंत्रालय के पत्र कमांक CCA/FIN/PAO (SL)/RP.details/2024–25/60 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य को प्रदत्त ऋण के पुनर्भुतान के कारण ₹ 5,966.29 करोड़ (वर्ष 2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं वर्ष 2024–25 के ₹ 2,272.73 करोड़) की कमी हुई।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां—जारी

ने अनुशंसा की है कि राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाये। इस अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कैबिनेट ने 18 जनवरी 2017 को ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' के निवेश से सभी राज्यों_(अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर) को बाहर रखे जाने को अनुमोदन किया तथा राज्य के निवेश केवल 01 अप्रैल 2017 तक के बकाया ऋण के भुगतान तक सीमित रहेगा। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 से भारत सरकार से ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' अन्तर्गत कोई ऋण प्राप्त नही किया गया है। वर्ष 2024—25 में ₹ 455.88 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 240.18 करोड़ का ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 2,151.61 करोड़ का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2025 को राज्य शासन की कुल दायित्वों का 1.40 *प्रतिशत* था। 31 मार्च 2016 तक ''राष्ट्रीय अल्प बचत निधि'' से प्राप्त किये गये ऋण वित्तीय वर्ष 2038—39 में पूर्ण भूगतान किया जावेगा।

3. **भारत सरकार से कर्ज आदि** : 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, कुल दायित्वों का 12.37 *प्रतिशत* था। वर्ष 2024—25 के दौरान भारत सरकार से ₹ 6,417.03 करोड़ का कर्ज प्राप्त हुआ। 2024—25 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 244.27 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 291.57 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

4. **बाजार कर्ज :** बाजार ऋण राशि ₹ 1,000.00 करोड़ 8.14 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025, ₹ 1,000.00 करोड़ 8.18 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025, ₹ 1,300.00 करोड़ 5.40 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 250.00 करोड़ 8.98 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 500.00 करोड़ 8.02 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025, ₹ 500 करोड़ 9.22 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 700.00 करोड़ 8.08 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025, ₹ 700.00 करोड़ 8.85 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 750.00 करोड़ 9.03 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024, ₹ 800.00 करोड़ 8.06 *प्रतिशत* से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2025 को वर्ष 2024—25 के दौरान कर्ज उन्मुक्त किया।

5. **वित्तीय संस्थाओं से कर्ज :**

उधारों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं जैसे :— भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्जे सम्मिलित हैं।

वर्ष 2024—25 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 942.03 करोड़) एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (₹ 22.96 करोड़) से ₹ 964.99 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए एवं ₹ 1,002.74 करोड़ का पुनर्भुगतान (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक : ₹ 1,002.59 करोड़, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम : ₹ 0.02 करोड़ एवं भारतीय सामान्य बीमा निगम : ₹ 0.13 करोड़) किये गए। 31 मार्च 2025 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 5,853.68 करोड़ था। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर्जों पर राज्य सरकार ने ₹ 256.13 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण क्रमांक 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण–समाप्त

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां–समाप्त

6. ऋण सेवाएं :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारो की निवल राशियां जिन्हे 2024–25 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए है, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण		2024–25	2023–24	निवल वृद्धि (+)/ कमी (–)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियॉ आदि	1,43,042.55	1,18,769.97	(+)24,272.57
(ख)	अन्य दायित्वों	10,169.22	9,443.09	(+)726.14
योग–(i)		**1,53,211.77**	**1,28,213.06**	**(+)24,998.71**
(ii) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज				
(क)	लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियॉ आदि पर	8,226.62	5,989.46	(+)2,237.16
(ख)	ऑफ बजट दायित्वों	718.49[5]	742.15	(–)23.66
(ग)	अन्य दायित्वों पर	7.23	66.72	(–)59.49
योग–(ii)		**8,952.34**	**6,798.33**	**(+)2,154.01**
(iii) घटायें –				
(क)	अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज	6.49	4.49	(+)2.00
(ख)	रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	290.47	26.41	(+)264.06
योग–(iii)		**296.96**	**30.90**	**(+)266.06**
ब्याज प्रभारों की निवल राशि		**8,655.38**	**6,767.43**	**(+)1,887.95**
1.	सकल ऋण से सकल ब्याज का *प्रतिशत*	5.84	5.30	(+)0.54
2.	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का *प्रतिशत* [6]	7.44	6.57	(+)0.87
3.	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का *प्रतिशत* [6]	7.20	6.54	(+)0.66

इसके अतिरिक्त, अन्य प्राप्तियॉ/अव्ययित राशि पर ब्याज तथा अन्य आय के रूप में ₹ 51.12 करोड़ की ब्याज प्राप्त हुई। यदि इन्हें भी घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 8,604.26 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 7.15 *प्रतिशत* है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

7. ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन : वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 480.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

[5] पॉच संस्थाओं अर्थात छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ सड़क तथा अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम द्वारा शासकीय प्रत्याभूति के विरूद्ध लिये गये ऋण पर ब्याज को प्रदर्शित करता है जिसका मूलधन एवं ब्याज का भुगतान बजट प्रावधान के माध्यम से करने का दायित्व राज्य शासन द्वारा ग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कपंनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड की ऋण (मूलधन तथा ब्याज) के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन ने ग्रहण किया तथा आवश्यक बजट प्रावधान किया। वर्ष के दौरान उक्त संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋण हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने बजट शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ₹ 718.49 करोड़ का ब्याज भूगतान को दर्ज किया।

[6] वर्ष 2024–25 में कुल राजस्व प्राप्तियॉ ₹ 1,20,290.35 करोड़ है।

टीप : वास्तविक आंकड़े का पूर्णाकिंत आंकड़ा तथा विवरण में पूर्णांकित किए गए आंकड़े के मध्य अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण

भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2024 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2025 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सांविधिक निगम	170.59	0.00	17.80	0.00	152.79	(–)17.80	6.44
सरकारी कम्पनियॉ	322.51[1]	0.00	0.00	0.00	322.51	0.00	52.00
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	11.87	0.00	1.10	0.00	10.77	(–)1.10	0.00
नगर पालिकायें / नगर परिषद् / नगर निगम	362.94[2]	17.21	0.00	0.00	380.15	17.21	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	251.20[3,4]	256.45	0.00	0.00	507.65	256.45	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	438.98[5]	48.00	4.70	0.00	482.28	43.30	0.05
अन्य	37.02	0.00	0.00	0.00	37.02	0.00	0.00
शासकीय सेवक	5.72	0.00	0.02	0.00	5.70	(–)0.02	0.00
योग–ऋण तथा पेशगियॉ	**1,651.04[6]**	**321.66**	**23.62**	**0.00**	**1,949.09[7]**	**298.04**	**58.49**

[1] ₹ 159.50 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई। वर्ष 2016–17 (₹ 70.00 करोड़) एवं 2017–18 (₹ 95.00 करोड़) के दौरान मुख्यशीर्ष 2039 से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम को प्रदत्त ₹ 165.00 करोड़ की राशि को राज्य शासन के पत्र क्रमांक 3314 / वित्त / संसा. / ब–4 / 2024, दिनांक 23.08.2024 के अनुसार ऋण के रूप में समायोजित किया गया है तथा मुख्यशीर्ष 7452 से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रदत्त ₹ 5.50 करोड़ की राशि को (अनुदान के रूप में समायोजित) राज्य शासन के पत्र कमांक 1298 / वित्त / संसा. / ब–4 / 2025, दिनांक 28.03.2025 के अनुसार कम किया गया है, पूर्व अवधि समायोजन ₹ 165.00 करोड़ विवरण क्रमांक 13 के क्रम संख्या 01 पर दर्शाया गया है।

[2] ₹ 1.50 करोड़ की कमी। यह संपदा अपीलीय अधिकरण रायपुर को प्रदत्त ऋणों से संबंधित है एवं अब इसे ''शहरी विकास प्राधिकरण'' श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

[3] ₹ 1.50 करोड़ की वृद्धि हुई। यह संपदा अपीलीय अधिकरण रायपुर को प्रदत्त ऋणों से संबंधित है एवं इसे ''नगर पालिकाऍ / नगर परिषदें / नगर निगम'' श्रेणी में सम्मिलित किया गया था।

[4] विवरण क्रमांक 13 के क्रमांक संख्या 4 में दर्शाये गये ₹ 172.00 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2016–17 (₹ 35.00 करोड़), 2018–19 (₹ 45.10 करोड़), 2019–20 (₹ 15.00 करोड़), 2021–22 (₹ 35.00 करोड़), 2022–23 (₹ 12.50 करोड़) एवं 2023–24 (₹ 29.40 करोड़) के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदत्त ₹ 172.00 करोड़ के ऋण को राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ–2–25 / 2024 / 32 दिनांक 17.03.2025 के अनुसार पूंजीगत व्यय के रूप में समायोजित किया गया है।

[5] ₹ 1.30 करोड़ की कमी। वर्ष 2000–01 से पूर्व रायपुर दुग्ध महासंघ को प्रदत्त ₹ 1.30 करोड़ के ऋण को राज्य शासन के पत्र क्रमांक 4126 / वित्त / संसा. / ब–4 / 2024 दिनांक 22.11.2024 के अनुसार अनुदान के रूप में समायोजित किया गया है।

[6] ₹ 13.80 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया उपरोक्त दिए गए पादटीप क्रमांक 1, 4 एवं 5 देखें।

[7] 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹ 1,949.08 करोड़ का ऋण बकाया अवशेष में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम को वर्ष 2017–18 से 2023–24 के दौरान प्रदत्त ₹ 533.87 करोड़ (इसमें ₹ 20.16 करोड़, जिसे वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था एवं राज्य शासन द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान ऋण के रूप में समायोजित की गई है, सम्मिलित है) का ऋण सम्मिलित नहीं है। यह ऋण मुख्यशीर्ष 6853 के अन्तर्गत वर्गीकृत तथा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से प्रतिपूर्ति की गई है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार–समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में ''शाश्वतकालीन ऋण'' स्वीकृत किये गये है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञप्ति का वर्ष	अनुज्ञप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2024 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2025 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सेवायें							
सरकारी कम्पनियॉ	190.00[8]	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	52.00
योग–सामान्य सेवाएं	**190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.00**	**0.00**	**52.00**
सामाजिक सेवायें							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	362.83[9]	17.21	0.00	0.00	380.04	17.21	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	251.20[10,11]	256.45	0.00	0.00	507.65	256.45	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
योग–सामाजिक सेवायें	**669.94**	**273.66**	**0.00**	**0.00**	**943.60**	**273.66**	**0.00**
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	11.87	0.00	1.10	0.00	10.77	(–)1.10	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	170.05	0.00	17.80	0.00	152.25	(–)17.80	6.44
सरकारी कम्पनियॉ	132.51[12]	0.00	0.00	0.00	132.51	0.00	0.00

---

[8] ₹ 165.00 करोड़ की वृद्धि हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 1 देखें।

[9] ₹ 1.50 करोड़ की कमी हुई। यह संपदा अपीलीय अधिकरण रायपुर को प्रदत्त ऋणों से संबंधित है एवं अब इसे ''शहरी विकास प्राधिकरण'' श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

[10] ₹ 1.50 करोड़ की वृद्धि हुई। यह संपदा अपीलीय अधिकरण रायपुर को प्रदत्त ऋणों से संबंधित है एवं इसे ''नगर पालिकाएॅ / नगर परिषदें / नगर निगम'' श्रेणी में सम्मिलित किया गया था।

[11] ₹ 172.00 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 4 देखें।

[12] ₹ 5.50 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 1 देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार–समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2024 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2025 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (–) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर्थिक सेवायें–समाप्त							
सहकारी समितियाँ/ बैंक	438.98[13]	48.00	4.70	0.00	482.28	43.30	0.05
अन्य	31.86	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00
योग–आर्थिक सेवायें	**785.38**	**48.00**	**23.60**	**0.00**	**809.78**	**24.40**	**6.49**
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियाँ	5.72	0.00	0.02	0.00	5.70	(–)0.02	0.00
योग–शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियाँ	**5.72**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**5.70**	**(–)0.02**	**0.00**
योग	**1,651.04[14]**	**321.66**	**23.62**	**0.00**	**1,949.08**	**298.04**	**58.49**

[13] ₹ 1.30 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 5 देखें।
[14] ₹ 13.80 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 1, 4 एवं 5 देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2025 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरकारी कम्पनियॉं					
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	0.00	5.57	5.57	2005–06	0.00
सहकारी समितियॉं/बैंक/शक्कर कारखाना					
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	83.00	47.63	130.63	2015–16	96.00
दन्तेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	92.08	81.34	173.42	2005–06	98.08
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	100.78	93.93	194.71	2008–09	116.78
लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	120.00	58.52	178.52	2016–17	133.00
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (6408)	10.96	1.53	12.49	2012–13	6.69
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जगदलपुर (6425)	1.05	0.99	2.04	2000–01 के पूर्व	(–)0.02
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–जशपुर (6425)	0.10	0.00	0.10	2000–01 के पूर्व	0.05
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना–रायगढ (6425)	0.40	0.16	0.56	2000–01 के पूर्व	1.33
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, मुंगेली (6425)	0.10	0.05	0.15	2014–15	0.10
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डोंडीलोहारा (6408)	0.01	0.01	0.02	2006–07	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव (6408)	0.01	0.02	0.03	2007–08	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, कोंटा (6408)	0.47	0.19	0.66	2013–14	0.47
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा (6408)	0.14	0.05	0.19	2010–11	0.15
थोक उपभोक्ता भण्डार जगदलपुर (6425)	0.02	0.01	0.03	2006–07	0.02
रायपुर दुग्ध संघ (6403)	0.00[15]	0.00	0.00	..	0.00
अन्य					
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द (6851)	0.02	0.02	0.04	2011–12	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर (6851)	0.00	0.03	0.03	2011–12	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज (6202)	0.90	0.00	0.90	2000–01 के पूर्व	0.91
	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पश्चात	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज (6210)	0.03	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03

[15] ₹ 1.30 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप कमांक 5 देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2025 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य–जारी					
जल पूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज (6215)	26.57	0.00	26.57	2000–01 के पूर्व	26.57
आवास के लिए कर्ज (6216)	49.30	0.00	49.30	2000–01 के पूर्व	49.30
शहरी विकास के लिए कर्ज (6217)	5.86	0.00	5.86	2000–01 के पश्चात	24.50
	18.64	0.00	18.64	2000–01 के पूर्व	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये कर्ज (6225)	2.71	0.00	2.71	2000–01 के पूर्व	2.71
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज (6235)	1.16	0.00	1.16	2000–01 के पूर्व	1.23
	0.07	0.00	0.07	2000–01 के पश्चात	
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज (6245)	0.83	0.00	0.83	2000–01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज (6250)	0.91	0.00	0.91	2000–01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज (6401)	20.89	0.00	20.89	2000–01 के पूर्व	24.53
	3.64	0.00	3.64	2010–11	
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज (6402)	8.06	0.00	8.06	2000–01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज (6403)	0.26	0.00	0.26	2000–01 के पूर्व	0.26
डेरी विकास के लिए कर्ज (6404)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज (6406)	12.75	0.00	12.75	2000–01 के पूर्व	12.75
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज (6408)	5.13	0.00	5.13	2000–01 के पूर्व	5.13
सहकारिता के लिए कर्ज (6425)	17.24	0.41	17.65	2000–01 के पूर्व	17.24
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज (6435)	0.03	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज (6515)	0.58	0.00	0.58	2000–01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज (6702)	0.12	0.00	0.12	2000–01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज (6705)	0.05	0.00	0.05	2000–01 के पूर्व	0.05
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज (6801)	102.83	0.00	102.83	2000–01 के पूर्व	102.83
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज (6851)	0.01	0.00	0.01	2005–06	1.82
	1.81	0.00	1.81	2000–01 के पूर्व	
अलौह तथा धातु–कर्म उद्योग के लिए कर्ज (6853)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज (6860)	1.56	0.00	1.56	2000–01 के पूर्व	1.56
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्जे (6885)	6.43	0.00	6.43	2000–01 के पूर्व	6.43
सड़क परिवहन के लिए कर्ज (7055)	6.17	0.00	6.17	2000–01 के पूर्व	6.17

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण–समाप्त
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जो का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2025 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में संस्थाओं के विरूद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्य–समाप्त					
पर्यटन के लिये कर्ज (7452)	0.03[16]	0.00	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज (7465)	0.01	0.00	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
योग	**703.75**	**290.46**	**994.21**		**747.30**

[16] ₹ 5.50 करोड़ की कमी हुई। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस विवरण का पादटीप क्रमांक 1 देखें।

टीप : राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्ष 2000–01 के पूर्ववर्ती काल के ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किये गये है।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2024–25			2023–24		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	10	90.29	1.01	10	90.29	1.01
सरकारी कम्पनियॉ	28	6,782.94	0.00	28	6,782.94	2.26
संयुक्त स्टॉक कम्पनियॉ	21	478.72	0.00	21	303.72	0.00
ग्रामीण बैंक	02	25.15	0.00	02	25.15	0.00
सहकारी बैंक एवं समितियॉ	1460	340.58[1]	0.48	1460	331.51	0.56
योग	**1521**	**7,717.68[1]**	**1.49**	**1521**	**7,533.61**	**3.83**

[1] सहकारी समितियों एवं बैंकों (₹ 4.70 करोड़) तथा हाथकरघा समितियों (₹ 0.11 करोड़) के पूंजी निवृत्ति के कारण निवशों के प्रगामी शेष में ₹ 4.81 करोड़ की कमी की गई।

9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंम्पानियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियॉ[1] तथा 31 मार्च 2025 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूति की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

क्षेत्रवार प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्ठक में)	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि[2]	वर्ष 2024 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04.2024)		वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति		निरस्त की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के अलावा)		वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरूद्ध भुगतान		2025 के अन्त में बकाया राशि (31.03.2025)		प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस		अन्य विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	उन्मोचित	अनुन्मोचित	मूलधन	ब्याज	प्राप्य	प्राप्त	
ऊर्जा (5)	2,929.32[3]	1,910.62	3.63	717.76	195.18	36.88	195.44	..	..	2,591.50	3.37	..	9.47	..
सहकारिता (17)	15,075.00[4]	13,203.36[5]	..	1,824.72	1,066.58	18.54	1,066.58	..	..	15,009.54	..	152.18	151.84	..
राज्य वित्त निगम (34)	175.16[6]	63.42	0.64	10.95	3.25	6.46	2.63	..	..	67.91	1.25	..	..	..
शहरी विकास तथा आवास (2)	4,858.76[7]	3,817.44[8]	0.56	86.77	313.01	1,122.43	313.57	..	..	2,781.78	..	3.08	..	..
अन्य (2)	364.00[9]	2,895.01	..	526.61	243.50	3,109.27	243.50	..	..	312.35	..	1.50	..	..
योग	**23,402.24[10]**	**21,889.85**	**4.82**	**3,166.81**	**1,821.52**	**4,293.58**	**1,821.72**	**..**	**..**	**20,763.08**	**4.62**	**156.76**	**161.30**	**..**

---

[1] संस्थावार प्रत्याभूति का वर्णन खण्ड–II के विवरण क्रमांक 20 में दर्शाया गया है।

[2] 31 मार्च 2025 की स्थिति में।

[3] मई 2024 के दौरान ₹ 762.32 करोड़ की एक नई प्रत्याभूति जारी की गई है, जिसके विरूद्ध ₹ 717.76 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ।

[4] ₹ 219.00 करोड़ (निवल) की वृद्धि (इसमें ₹ 300 करोड़ की नई प्रत्याभूति एवं 'शून्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त होने पर विलोपित की गई ₹ 81.00 करो़ड़ सम्मिलित है)।

[5] प्रत्याभूति संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शन में सुधार के कारण ₹ 0.11 करोड़ की कमी हुई।

[6] ₹ 238.14 करोड़ की कमी हुई ('शून्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त होने पर ₹ 147.38 करोड़ एवं राज्य शासन के पत्र कमांक 2324/एफ–2016–04–01292/ब–4 दिनांक 01.09.2025 के अनुसार ₹ 90.76 करोड़)। ।

[7] ₹ 3,278.73 करोड़ (राज्य शासन के पत्र कमांक 1661/एफ–2016–04–01292/ब–4, दिनांक 05.05.2025 (₹ 2,022.66 करो़ड़) एवं पत्र कमांक 2169/एफ–2016–04–01292/ब–4, दिनांक 30.07.2025 (₹ 161.07 करो़ड़) तथा 'शून्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त होने पर ₹ 1,095.00 करोड़ के अनुसार ₹ 2,183.73 करोड़) की कमी हुई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राज्यांश के भुगतान हेतु ₹ 3,357.00 करोड़ की प्रत्याभूति जारी किया गया तथा प्रत्याभूति की शर्ते अनुसार प्रत्याभूति के विरूद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। वर्ष 2024–25 के दौरान, ₹ 3,357.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरूद्ध ₹ 86.77 करोड़ का ऋण लिया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ₹ 3,427.28 करोड़ की प्रत्याभूति जारी किया गया। उक्त प्रत्याभूतियॉ राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व है एवं ऋण का मूलधन तथा ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम द्वारा प्राप्त ऋण का पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान वर्ष 2025–26 के दौरान किया गया एवं शून्य देयता प्रमाण पत्र' भी प्राप्त हुआ है, जिसे वर्ष 2025–26 के वित्त लेखे में विलोपित किया गया।

[8] प्रत्याभूति संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शन में सुधार के कारण ₹ 0.56 करोड़ की कमी हुई।

[9] ₹ 5,725.09 करोड़ (निवल) की कमी। (इसमें छत्तीगढ़ राज्य लघु वनोपज (टी एण्ड डी) सहकारी संघ लिमिटेड को वर्ष 2024–25 के दौरान जारी की गई ₹ 300 करोड़ की एक नई प्रत्याभूति जिसके विरूद्ध ₹ 300 करोड़ का ऋण प्राप्त की गई एवं 'शून्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त होने पर (₹ 6,025.00 करोड़) एवं राज्य शासन के पत्र कमांक 2169/एफ–2016–04–01292/ब–4, दिनांक 30.07.2025 (₹ 0.09 करोड़) प्राप्त होने पर ₹ 6,025.09 करोड़ की कमी सम्मिलित है।) इसके अतिरिक्त, छत्तीगढ़ राज्य लघु वनोपज (टी एण्ड डी) सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋण को पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान वर्ष 2025–26 के दौरान किया गया एवं शून्य देयता प्रमाण पत्र' भी प्राप्त हुआ है, जिसे वर्ष 2025–26 के वित्त लेखे में विलोपित किया गया।

[10] बजट अभिलेख के अनुसार, प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 32,235.25 करोड़ है तथा वित्त लेखे के अनुसार ₹ 23,402.24 करोड़ है। बजट अभिलेख से प्रत्याभूति विलोपित किये गये किन्तु 'शुन्य देयता प्रमाण पत्र' प्राप्त न होने, बजट अभिलेख में प्रत्याभूतियों को सम्मिलित किये गये किन्तु शुन्य देयता प्रमाण पत्र तथा राज्य शासन का पत्र प्राप्त होने के आधार पर प्रत्याभूतियों को वित्त लेखे से विलोपित किये जाने (₹ 9,133.01 करोड़) तथा वर्ष 2024–25 (फरवरी 2025) में जारी नई प्रत्याभूति (₹ 300.00 करोड़) को वित्त लेखे में सम्मिलित किये गये किन्तु बजट अभिलेख में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण ₹ 8,833.01 करोड़ का अंतर है।

टीप : इस विवरण में दी गई जानकारी सरकारी कंपनियों/निगमों, सहकारी संस्थाओं (शक्कर कारखाना एवं प्रसंस्करण तथा विपणन समिति मर्यादित) सरकारी प्राधिकरण, सरकारी अभिकरण, आवास बोर्ड इत्यादि द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग / नाम		सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि				कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि			
		2024–25			2023–24 (कुल राज्य निधि व्यय एवं केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे. यो. सहित)	2024–25			2023–24 (कुल राज्य निधि व्यय एवं केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे. यो. सहित)
		राज्य निधि से व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे.यो. सहित) (ख)	योग (क+ख)		राज्य निधि से व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. / के.क्षे.यो. सहित) (ख)	योग (क+ख)	
(1)		(2)			(3)	(4)			(5)
1.	**पंचायती राज संस्थायें**	**6,319.48**	**4,763.42**	**11,082.90**	**9,470.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508.84**
	(i) जिला पंचायत	3,060.12	4,503.39	7,563.51	4,303.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) जनपद पंचायत	341.24	000	341.24	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	2,918.12	260.03	3,178.15	4,839.62	0.00	0.00	0.00	508.84
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**2,372.01**	**435.85**	**2,807.85**	**4,412.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,051.25**
	(i) नगर निगम	1,439.77	332.00	1,771.77	2,556.32	0.00	0.00	0.00	483.73
	(ii) नगर पालिका परिषद	444.61	62.09	506.70	877.51	0.00	0.00	0.00	281.48
	(iii) नगर पंचायत	487.63	41.76	529.39	978.35	0.00	0.00	0.00	286.04
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**981.41**	**6.25**	**987.66**	**1,582.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**808.91**
	(i) शासकीय कम्पनियॉ	962.35	0.00	962.35	1,552.57	0.00	0.00	0.00	808.91
	(ii) सांविधिक निगम	19.06	6.25	25.31	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	**स्वशासी निकाय**	**920.14**	**318.91**	**1,239.05**	**1,654.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184.30**
	(i) विश्वविद्यालय	682.54	308.70	991.24	1,056.21	0.00	0.00	0.00	1.90
	(ii) विकास प्राधिकरण	156.82	0.00	156.82	517.28	0.00	0.00	0.00	182.40
	(iii) सहकारी संस्थाएं	72.22	10.21	82.43	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	8.55	0.00	8.55	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान–समाप्त

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि				कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि			
		2024–25			2023–24 (कुल राज्य निधि व्यय एवं केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे. यो. सहित)	2024–25			2023–24 (कुल राज्य निधि व्यय एवं केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे. यो. सहित)
		राज्य निधि से व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.क्षे.यो. सहित) (ख)	योग (क+ख)		राज्य निधि से व्यय (क)	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./ के.क्षे.यो. सहित) (ख)	योग (क+ख)	
(1)		(1)			(3)	(4)			(5)
5.	अशासकीय संगठन	0.51	0.00	0.51	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
6.	अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)	29,713.89	3,444.15	33,158.04[1]	36,043.77	6.47	209.01	215.48	1,106.75
योग		40,307.43	8,968.57	49,276.00[2]	53,163.50	6.97	209.01	215.98[3]	3,660.05

---

1 सहायता अनुदान में आयोग (₹ 11.14 करोड़), महाविद्यालय (₹ 82.25 करोड़), मण्डल (₹ 82.85 करोड़), सहकारी समितियों के अलावा समितियॉ (₹ 815.98 करोड़), एसोसिएशन (₹ 3.80 करोड़), वैयक्तिक अनुदान (₹ 8,209.02 करोड़ प्राकृतिक आपदा के कारण राहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि पर किया गया व्यय सम्मिलित है), जल समितियॉ (₹ 6.50 करोड़), अशासकीय संगठन (₹ 29.33 करोड़), अकादमी (₹ 7.83 करोड़), सरकारी संगीत स्कूल (₹ 0.46 करोड़), अभिकरण (₹ 211.50 करोड़), फाऊन्डेशन (₹ 0.04 करोड़), संघ (₹ 0.89 करोड़), विद्यालय (₹ 781.59 करोड़), परिषद (₹ 25.85 करोड़), संस्थाएं (₹ 8.91 करोड़), केन्द्र (₹ 77.11 करोड़), कमेटी (₹ 10.30 करोड़), पशुपालन अस्पताल एवं औषधालय (₹ 1.25 करोड़), केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए सहायता (₹ 1,763.43 करोड़), मत्स्य सहकारी समितियॉ (₹ 4.30 करोड़), स्वयं सहायता समूह (₹ 10.89 करोड़), पूजारी एवं सेवादार (₹ 0.25 करोड़), वन प्रबंधन समितियॉ (₹ 42.18 करोड़) एवं अन्य (₹ 21,565.17 करोड़), महतारी वंदन योजना (₹ 7,832.00 करोड़), कृषि उन्नति योजना (₹ 11,982.61 करोड़) एवं विशेष पोषण योजना (₹ 632.80 करोड़) इत्यादि सम्मिलित है।

2 उद्देश्य शीर्ष 14–सहायता अनुदान (₹ 49,269.28 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 55–जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान (₹ 8.67 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये है।

3 इसमें उद्देश्य शीर्ष 14–004–अधोसंरचना अनुदान (₹ 10.54 करोड़) के अंतर्गत दर्ज व्यय, मुख्यशीर्ष 2055–14–002–विकास अनुदान (₹ 205.44 करोड़) के अंतर्गत दर्ज पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय सम्मिलित है।

टीप : वास्तविक पूर्णांकित आंकड़े एवं विवरण में दर्शाये गये आंकडों के मध्य का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण—समाप्त

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

	ग्रांटी का वर्ग/नाम	वर्ष 2024—25 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
	(1)	(2)	(3)
1.	**पंचायती राज संस्थायें**	**0.00**	**0.00**
2.	**शहरी स्थानीय निकाय**	**0.00**	**0.00**
3.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**	**0.00**	**0.00**
4.	**स्वशासी निकाय**	**0.00**	**0.00**
5.	**अशासकीय संगठन**	**0.00**	**0.00**
6.	**अन्य :**		
	मु.शी. 2403—00—101—8898 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को निःशुल्क पशु वितरण	9.80	0.00
	मु.शी. 2403—00—106—5260 उन्नत प्रजनन की सुविधा के विस्तार हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा विहीन ग्रामों में हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के सांड वितरण	0.79	0.00
	मु.शी. 2403—00—101—4082 विशेष पशुपालन कार्यक्रम	2.45	0.00
	मु.शी. 2403—00—103—846 अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को निःशुल्क कुक्कुट वितरण	4.94	0.00
	मु.शी. 2851—00—104—6913 कुम्भकार टेराकोटा शिल्प योजना	2.20	0.00
	योग	**20.18**	**0.00**

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2024–25			2023–24		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*9,397.68*	1,15,992.15	1,25,389.83	*7,111.33*	1,07,629.62	1,14,740.95
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*12.62*	20,042.00	20,054.62	*28.64*	15,390.29	15,418.93
लोक ऋण, कर्जे तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	*10,870.67*	321.55	11,192.22	*24,112.96*	311.96	24,424.92
योग	***20,280.97***	**1,36,355.70**	**1,56,636.67**	***31,252,93***	**1,23,331.87**	**1,54,584.80**
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए है :–						
लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*10,626.40*	0.00	10,626.40	*23,873.11*	0.00	23,873.11
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	*244.27*	0.00	244.27	*239.85*	0.00	239.85
कर्जे तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्जे	*0.00*	0.00	0.00	*0.00*	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जे	*0.00*	273.66	273.66	*0.00*	215.90	215.90
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे	*0.00*	48.00	48.00	*0.00*	95.60	95.60
सरकारी कर्मचारियों को कजे, आदि	*0.00*	0.00	0.00	*0.00*	0.00	0.00
अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	*0.00*	(–)0.11	(–)0.11	*0.00*	0.46	0.46
आकस्मिकता निधि को अन्तरण						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	*0.00*	0.00	0.00	*0.00*	0.00	0.00
योग	***10,870.67***	**321.55**	**11,192.22**	***24,112.96***	**311.96**	**24,424.92**

***** विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18–''सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण'' पृष्ठ क्रमांक 400 से 438 में दिया गया है। वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का *प्रतिशत* निम्नानुसार था :

वर्ष	कुल व्यय का *प्रतिशत*	
	प्रभारित	दत्तमत
2023–24	*20.22*	79.78
2024–25	*12.95*	87.05

टीप : वास्तविक पूर्णांकित आंकड़े एवं विवरण में दर्शाये गये आंकडों के मध्य का अंतर यांत्रिक पूर्णांकन के कारण है।

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024–25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
पूंजीगत और अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप–क्षेत्रवार)			
अन्य सामान्य सेवाएं	1,042.91	907.70	1,950.61[क]
लोक निर्माण	4,277.22	339.72[1]	4,616.94
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	7,435.72	199.28	7,635.00
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5,096.73	677.92	5,774.65
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	19,754.66[2]	7,103.15	26,857.81
सूचना तथा प्रसारण	2.66	0.89	3.55
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,110.88	359.46	5,470.34
समाज कल्याण तथा पोषण	933.86	63.07	996.93
अन्य समाज सेवाएं	478.17	18.01	496.18
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	1,909.84	128.63	2,033.77[3]
ग्राम विकास	7,350.12	653.21	8,003.33
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	27,675.16	2,005.37	29,680.53
ऊर्जा	14,679.23	831.14[4]	15,510.37
उद्योग तथा खनिज	2,395.48[5]	941.27[6]	3,336.64[7]
परिवहन	47,666.99	6,641.03[8]	54,308.02
अन्य संचार सेवाएं	845.83	9.56	855.39
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.10	46.07	65.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	378.80	126.01	504.81
योग–पूंजीगत व्यय	**1,47,053.36**	**21,051.49**	**1,68,100.04[9]**

क. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,724.09 करोड़), लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 5.46 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 221.06 करोड़) सम्मिलित है।

1 यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 63.89 करोड़ का व्यय अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि (8229–200) से प्रतिपूरित किया गया है।

2 पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से ₹ 172.00 करोड़ की वृद्धि। नया रायपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त ₹ 172.00 करोड़ के ऋण को छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विकास विभाग के पत्र दिनांक 17.03.2025 के अनुसार पूंजीगत व्यय के रूप में समायोजित किया गया।

3 सहकारी समितियों एवं बैकों की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.70 करोड़ की कमी की गई।

4 यह सकल आंकड़े है। ₹ 201.20 करोड़ का व्यय की राशि जो मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 200.00 करोड़) एवं 4810 (₹ 1.20 करोड़) में दर्ज है, विद्युत विकास निधि (8229–110) से प्रतिपूरित किया गया है।

5 पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से ₹ 20.16 करोड़ की कमी। यह राशि वर्ष 2017–18 के दौरान मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज की गई थी एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 23.08.2024 के अनुसार ऋण के रूप में समायोजित की गई है।

6 यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 427.64 करोड़ का व्यय छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि (8229–200) से प्रतिपूरित किया गया है।

7 ग्रामोद्योग विभाग की रिव्बाल्विंग फंड पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 0.11 करोड़ की कमी की गई।

8 यह सकल आंकड़े है। मुख्यशीर्ष 5054 में दर्ज ₹ 304.13 करोड़ का व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (₹ 262.17 करोड) (8449–103) तथा अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि (₹ 41.96 करोड) (8229–200) से प्रतिपूरित किया गया है।

9 सहकारी समितियों एवं बैकों (₹4.70 करोड) एवं ग्रामोद्योग विभाग की रिव्बाल्विंग फंड (₹ 0.11 करोड) की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.81 करोड़ की कमी की गई।

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024–25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
पूंजीगत और अन्य व्यय–जारी			
ऋण एवं अग्रिम			
सामान्य सेवाएं			
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	190.00[10]	0.00	190.00
सामाजिक सेवाएं			
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	0.91	0.00	0.91
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	663.33[11]	273.66	936.99
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.71	0.00	2.71
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	665.53[12]	24.40	689.93
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
ऊर्जा	102.83	0.00	102.83
उद्योग तथा खनिज	10.06	0.00	10.06
परिवहन	6.17	0.00	6.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.03[13]	0.00	0.03
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	5.72	(–)0.02	5.70
योग–ऋण एवं अग्रिम	**1,651.04[14]**	**298.04**	**1,949.08**
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग–पूंजीगत और अन्य व्यय	**1,48,704.40**	**21,349.53**	**1,70,049.12[15]**
घटांए–आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटांए–विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	89.46	4.81	94.27
घटांए–अधोसंरचना एवं पर्यावरण विकास उपकर निधि से अंशदान			
मुख्यशीर्ष 4059	281.77	63.89	345.66
मुख्यशीर्ष 5054	211.62	41.96	253.58

[10] ₹ 165.00 करोड़ की वृद्धि। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान मुख्यशीर्ष 2039–001 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 165.00 करोड़ की राशि को राज्य शासन के पत्र दिनांक 23.08.2024 के अनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

[11] ₹ 172.00 करोड़ की कमी। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 (₹ 35.00 करोड़), 2018–19 (₹ 45.10 करोड़), 2019–20 (₹ 15.00 करोड़), 2021–22 (₹ 35.00 करोड़), 2022–23 (₹ 12.50 करोड़) एवं 2023–24 (₹ 29.40 करोड़) के दौरान प्रदत्त ₹ 172.00 करोड़ के ऋण को राज्य शासन के पत्र दिनांक 17.03.2025 के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में समायोजित किया गया है।

[12] सहायता अनुदान में ऋण के समायोजन के कारण ₹ 1.30 करोड़ की कमी हुई।

[13] ₹ 5.50 करोड़ की कमी। राज्य शासन के पत्र दिनांक 28.03.2025 के अनुसार, यह राशि मुख्यशीर्ष 3452–001 के अन्तर्गत अनुदान के रूप में समायोजित किया गया है।

[14] ₹ 13.80 करोड़ (निवल) की कमी। मुख्यशीर्ष 6075 के अन्तर्गत ₹ 165.00 करोड़ की वृद्धि, मुख्यशीर्ष 6217 के अन्तर्गत ₹ 172.00 करोड़ की कमी, मुख्यशीर्ष 6403 के अन्तर्गत ₹ 1.30 करोड़ की कमी तथा मुख्यशीर्ष 7452 के अन्तर्गत ₹ 5.50 करोड़ की कमी।

[15] सहकारी समितियों एवं बैकों (₹ 4.70 करोड़) तथा ग्रामोद्योग विभाग (₹ 0.11 करोड) की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.81 करोड़ कमी की गई।

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024–25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
पूंजीगत और अन्य व्यय–समाप्त			
घटांए–विद्युत विकास निधि से अंशदान	2,162.58	201.20[16]	2,363.78
घटांए–छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम से अंशदान	1,480.05[17]	427.64	1,907.69
घटांए–केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अंशदान	1,602.64	262.17	1,864.81
निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	**1,42,876.28**	**20,347.86**	**1,63,219.33**[18]

[16] मुख्यशीर्ष 4801 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 200.00 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 4810 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 1.20 करोड़ का व्यय निधि से प्रतिपूरित किया गया है।

[17] पूर्व अवधि समायोजन के माध्यम से ₹ 20.16 करोड़ की कमी। यह राशि वर्ष 2017–18 के दौरान मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज की गई थी एवं छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 23.08.2024 के अनुसार ऋण के रूप में समायोजित की गई थी। तद्नुसार प्रतिपूर्ति राशि को भी समायोजित किया गया है।

[18] सहकारी समितियों एवं बैकों (₹ 4.70 करोड) तथा ग्रामोद्योग विभाग (₹ 0.11 करोड) की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 4.81 करोड़ की कमी की गई।

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष 2024–25 के दौरान	31 मार्च 2025 को
निधियों का मुख्य स्त्रोत			
(i) जोड़े–पूंजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन	(–)89.46	0.00	(–)94.27[19]
(ii) ऋण–			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	95,140.17	16,419.36	1,11,559.53
केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशगियॉ	12,781.09[20]	6,172.76	18,953.85
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	10,848.71	1,680.45	12,529.16
योग (ii)–ऋण	**1,18,769.97**	**24,272.57**	**1,43,042.54**
(iii) अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	86.53	(–)23.95	62.58
आरक्षित निधियॉ	10,694.70	2,123.83	12,818.53
जमा एवं अग्रिम	6,398.25	346.97	6,745.22
उचंत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	169.52	85.92	255.44
प्रेषण	(–)351.50	(–)1,787.19	(–)2,138.69
योग–(iii)–अन्य दायित्व	**16,997.50**	**745.58**	**17,743.08**
योग–(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व	**1,35,767.47**	**25,018.15**	**1,60,785.62**
(iv) घटाएं–रोकड़ शेष	194.40	28.79	223.19
(v) घटाएं–निवेश	13,590.45	(–)458.05	13,132.40[21]
(vi) घटाएं– आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग–(i)+(ii)+(iii)–(iv)–(v)–(vi)	**1,21,893.16**	**25,447.41**	**1,47,335.76**[22]
घटाएं : राजस्व घाटा/**जोड़े** : राजस्व आधिक्य	..	**(–)5,099.47**	..
घटाएं : अंतर्राज्यीय समाशोधन	0.00	0.09	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	..	**20,347.85**	..

[19] सहकारी समितियों एवं बैंकों के ₹ 4.70 करोड़ की पूंजी निवृत्ति तथा ग्रामोद्योग विभाग का ₹ 0.11 करोड़ का विवरण को संतुलित करने हेतु सम्मिलित किया गया है।

[20] वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक CCA/FIN/PAO (SL)/RP.details/2024–25/60 दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज में राज्य को प्रदत्त ऋण के पुनर्भुतान के कारण ₹ 5,966.29 करोड़ (वर्ष 2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं वर्ष 2024–25 के ₹ 2,272.73 करोड़) की कमी हुई।

[21] रोकड़ शेष निवेश ₹ 3,730.78 करोड़ एवं उद्दिष्ट निधियों से निवेश ₹ 9,401.62 करोड़ सम्मिलित है।

[22] कृपया पाटटीप क्रमांक 18 देखें।

टीप : निवल पूंजीगत और अन्य व्यय तथा निधियों का निवल प्रावधान के मध्य ₹ 0.01 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(क) 31 मार्च 2025 तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय (₹ 1,63,219.33 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 1,47,335.76 करोड़) के मध्य ₹ 15,883.57 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :–

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000–01 से 2024–25 तक संचयी राजस्व आधिक्य	8,176.44
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(–)2,910.34
3.	जोड़े–वर्ष 2011–12 के दौरान शीर्ष 8229–200 में पंचायत एवं भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प डयूटी निधि में वर्ष 2006–07 से 2010–11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	118.00
4.	जोड़े–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से अंशपूंजी के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण पूंजीगत व्यय के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	0.00
	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम (2012–13)	6.55
	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (2017–18)	1.52
5.	जोड़े–वर्ष 2013–14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानांतरण के कारण ऋण के ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
6.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीगत व्यय के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.03
7.	जोड़े–वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूंजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि	0.00
	मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूंजीगत व्यय में समायोजन	10.57
	वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष 4055–छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को अंशपूंजी निवेश में समायोजन	2.00
	वर्ष 2015–16 एवं 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4801–छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड़ द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन	4,475.90
	मुख्य शीर्ष 4852–छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को वर्ष 2023–24 में राज्य शासन के अंशपूंजी में समायोजन	1.60
8.	मुख्य शीर्ष 5054–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अविभाजित अवधि से संबंधित व्यय के स्थानांतरण के कारण	12.83
9.	मुख्य शीर्ष 4225–वर्ष 2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अत्यांवसायी वित्त एवं विकास निगम के ऋण को अंशपूंजी में समायोजन	0.50
10.	मुख्य शीर्ष 4217–वर्ष 2017–18 के दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण (नया नाम–अटल नगर विकास प्राधिकरण) के ऋण को पूंजीगत व्यय में समायोजन	438.00
11.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय का प्रोफार्मा अंतरण	(–)2.47

12. वर्ष 2024–25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण–जारी

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
12.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	0.35
13.	घटाएं–वर्ष 2015–16 एवं 2017–18 के दौरान ''ऋण एवं अग्रिम'' क्षेत्र–च में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.00
	मुख्य शीर्ष 6216–ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2015–16)	10.57
	मुख्य शीर्ष 6425–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16)	10.51
	मुख्य शीर्ष 6852–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16)	22.96
	मुख्य शीर्ष 6217–ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2017–18)	438.00
	मुख्य शीर्ष 6225–ऋणों को अंशपूंजी में रूपान्तरण (2017–18)	0.50
14.	जोडें– वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय एवं पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	2.12
15.	जोड़े–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.03
16.	जोड़े–वर्ष 2017–18 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
17.	जोड़े–वर्ष 2021–22 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र ''ऊर्जा'' में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	(–)168.92
18.	घटाएं–वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के ''शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति'' उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	4.00
19.	जोड़े–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से ऋण राशि प्राप्त होने के कारण मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत में प्रोफार्मा वृद्धि	
	2009–10	0.82
	2011–12	0.36
	2016–17	10.21
	2017–18	6.74
20.	घटाएं–वर्ष 2008–09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटीपूर्ण दर्शाया जाना	40.00
21.	घटायें–वर्ष 2018–19 तक विविध शासकीय लेखे को बंद राशि	152.56
22.	घटायें–वर्ष 2000–01 से 2024–25 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन	26.57
23.	घटायें–त्र–वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा राहत निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	(–)278.65
24.	घटायें–त्र–वर्ष 2017–18 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण	(–)14.90
25.	घटायें–वर्ष 2021–22 के दौरान लोक ऋण के अन्तर्गत प्रोफार्मा कमी	(–)48.32
26.	घटायें–ट–जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
27.	घटायें–ट–ऋण तथा अग्रिम–जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के अन्तर्गत पूर्णांक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
28.	घटायें–वर्ष 2016–17 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	60.00
29	घटायें–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2024–25)	1.30
30	घटायें–ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2024–25)	5.50

12. वर्ष 2024—25 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
31	जोडे—वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 के दौरान मुख्यशीर्ष 2039—001 के अधीन वर्गीकृत ऋण एवं अग्रिमों के अन्तर्गत **₹** 165.00 करोड़ प्रोफार्मा वृद्धि	165.00
32	घटायें—वर्ष 2024—25 के दौरान लोक ऋण के अन्तर्गत प्रोफार्मा कमी	(–)5,966.29
	योग	**15,883.57**

टीप : वास्तविक पूर्णांकित आंकड़े एवं विवरण में दर्शाये गये आंकडों के मध्य का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2025 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
1,45,480.96	**क से घ, छ, ज और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)**	सरकारी लेखे	..
..	**ड.**	लोक ऋण	1,30,513.39
1,949.08	**च**	कर्जे और पेशगियां	**..**
		आकस्मिकता निधि	
..		आकस्मिकता निधि	62.58
		लोक लेखा	
..	**झ**	अल्प बचतें, भविष्य निधियॉ इत्यादि	12,529.16
	ञ	**आरक्षित निधियॉ**	
..		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ	5,093.94
..		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ	7,724.59
		सकल शेष	**12,818.53**
9,401.62		**निवेश**	
	ट	**जमा और पेशगियॉ**	
..		ब्याज वाली जमा	(–)4.98
..		बिना ब्याज वाली जमा	6,757.30
7.10		पेशगियां	..
	ठ	**उचन्त और विविध**	
3,730.78		निवेश	..
..		अन्य मदे	255.44
2,138.69	**ड**	**प्रेषण**	**..**
223.19	**ढ**	**रोकड़ शेष**	..
		पूर्णांकन के कारण अंतर	0.00
1,62,931.42	**योग**		**1,62,931.42**

मार्च 2025 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए आंकड़े ₹ 223.19 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किये गए 'रिजर्व बैंक में जमा' ₹ 234.97 करोड़ (जमा) के मध्य निवल ₹ 11.78 करोड़ (जमा) का अंतर है, जिसे रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–जारी

ख **सरकारी लेखा**–सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्षो और सरकार के अन्य लेन–देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नही ले जाए जाते, उन्हे एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे ''सरकारी लेखा'' कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन–देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नही माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते है और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नही किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के नामे में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
1,26,284.08	क	1 अप्रैल 2024 को सरकारी लेखे का नामे शेष	0.00
..	ख	पूर्व अवधि समायोजन लेखा का शुद्ध प्रभाव	5,952.49
0.00	ग	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,20,290.35
0.00	घ	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	4.81
1,25,389.82	ड.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	0.00
20,054.62	च	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	0.00
0.00	छ	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	0.00
(–)0.11	ज	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(–)0.20
0.00	झ	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00
0.00		31 मार्च 2025 को शासकीय लेखे में नामे राशि	1,45,480.96
2,71,728.41	**योग**		**2,71,728.41**

टीप : वास्तविक पूर्णांकित आंकड़े एवं इस विवरण में दर्शाये गये आंकडों के मध्य का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–जारी

अनुलग्नक–I

पूर्व अवधि समायोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संशोधन का प्रकार (समायोजन/ त्रुटियॉ)	लेखा शीर्ष (शामिल दोनों प्रभावित लेखा शीर्षो के प्रमुख/लघु शीर्षवार ब्यौरे सरकारी खातों में बंद शीर्षो को छोड़कर अलग–अलग दर्शाए जाने हैं)	1.4.2024 की स्थिति के अनुसार 'प्रारंभिक शेष' को आगे बढ़ाया जाए। (वर्तमान वित्त वर्ष)		वर्ष वार पूर्व संशोधन				संशोधन के बाद 1.4.2024 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष (वर्तमान वित्त वर्ष)		टिप्पणी (यदि कोई हो)
					पूर्व अवधि का वर्ष	संशोधित राशि		संशोधन का कारण			
			डीआर	सीआर		डीआर	सीआर		डीआर	सीआर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	समायोजन	6075–800	25.00	..	2017–18 एवं 2018–19	165.00	..	राजस्व शीर्ष (सामग्री और पूर्तियां) के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय का ऋण शीर्ष में समायोजन	190.00	..	..
2	समायोजन	6403–190	1.30	..	2000–01	(–)1.30	..	ऋण राशि का सहायता अनुदान में समायोजन	0.00	..	..
3	समायोजन	7452–800	5.50	..	2007–08	(–)5.50	..	ऋण राशि का सहायता अनुदान में समायोजन	0.00	..	..
4	समायोजन	6217–01–193	206.90	..	2016–17 से 2023–24	(–)41.90	..	ऋण राशि का पूंजीगत व्यय में समायोजन	165.00	..	
		6217–01–800	209.86	..		(–)130.10	..	ऋण राशि का पूंजीगत व्यय में समायोजन	79.76		
5	समायोजन	6853–01–190	513.71	..	2017–18	20.16	..	पूंजीगत व्यय का ऋण राशि में समायोजन	533.87	..	..
6	समायोजन	6853–01–902	(–)513.71	..	2017–18	(–)20.16		पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति को ऋण राशि की प्रतिपूर्ति में समायोजित करना	(–)533.87	..	..

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–जारी

अनुलग्नक–I

पूर्व अवधि समायोजन का विवरण–समाप्त

(₹ करोड़ में)

क. सं.	संशोधन का प्रकार (समायोजन/ त्रुटियाँ)	लेखा शीर्ष (शामिल दोनों प्रभावित लेखा शीर्षो के प्रमुख/लघु शीर्षवार ब्यौरे सरकारी खातों में बंद शीर्षो को छोड़कर अलग–अलग दर्शाए जाने हैं)	1.4.2024 की स्थिति के अनुसार 'प्रारंभिक शेष' को आगे बढ़ाया जाए। (वर्तमान वित्त वर्ष)		वर्ष वार पूर्व संशोधन				संशोधन के बाद 1.4.2024 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष (वर्तमान वित्त वर्ष)		टिप्पणी (यदि कोई हो)
					पूर्व अवधि का वर्ष	संशोधित राशि		संशोधन का कारण			
			डीआर	सीआर		डीआर	सीआर		डीआर	सीआर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	समायोजन	6004–09–101 (वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति के एवज में बैक–टू–बैक ऋण)	..	8,074.15	2020–21 एवं 2021–22	..	(–)3,693.56	वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति में कमी के एवज राज्य शासन द्वारा प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण की वसूली का समायोजन		2,107.86	
					2021–22	..	(–)2,272.73				
					कुल	**116.30**	**(–)5,966.29**				
			पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध प्रभाव			**5,952.49**					

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश–समाप्त

अनुलग्नक–II

पूंजीगत व्यय शीर्ष से संबंधित पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	प्रमुख/लघु शीर्ष (पूंजीगत व्यय शीर्ष)	लेखा शीर्ष का विवरण	दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार समायोजन से पहले व्यय	वर्ष वार पूर्व संशोधन				वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक किया गया व्यय	टिप्पणी यदि कोई हो
				यदि उपलब्ध हो तो पूर्व अवधि के वर्ष	संशोधित राशि		संशोधन का कारण		
					डीआर	सीआर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4217–01–050	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,171.82	2016–17 से 2023–24	172.00	..	पूंजीगत व्यय में ऋण राशि का समायोजन	2,337.82	..
2	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,503.89	2017–18	(–)20.16		ऋण राशि में पूंजीगत व्यय का समायोजन	1,912.67	..
3	4853–902	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	(–)1,500.21	2017–18	20.16		ऋण राशि की प्रतिपूर्ति में पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति का समायोजन	(–)1,907.69	

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां

1. विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश –

(i) रिपोर्टिंग अस्तित्व : यह लेखे छत्तीसगढ़ शासन के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं संवितरण के लेखे 34 कोषालयों, 166 लोक निर्माण संभागों, 55 वन संभागों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, अन्य भुगतान तथा लेखा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं के आधार पर संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को अपवर्जित नहीं रखा गया है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि : इन लेखे की रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा : छत्तीसगढ़ शासन के लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रतिवेदित किए जाते हैं।

(iv) लेखाओं का प्रारूप : भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द ''प्रारूप'' का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षो के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत है, जो लेखे का चार्ट को रूप देता है।

(v) बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व अनुदान/विनियोग के रूप में विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को वसूली एवं प्राप्तियों के बिना सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें व्यय में कमी के रूप में समायोजित करने की अनुमति होती है। लेखा एवं बजट शीर्षो से संबंधित समस्त अनुदानों/विनियोगों, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो जाती है।

बजट एवं लेखा : राज्य के बजट एवं लेखा दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के रोकड़ आधार और वर्गीकरण के एक समान आधार का पालन करते है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर तक लेखों को वर्गीकृत किया गया है। लघुशीर्ष के नीचे का वर्गीकरण, प्रत्येक राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के सहमति अनुसार होता है। विनियोग लेखे के रूप में एक पृथक बजट तुलना विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदान/विनियोग की तुलना में वास्तविक संवितरण को दर्शाता है। विनियोग लेखे सकल आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं तथा वित्त लेखे के निवल आंकड़े का पुनर्मिलान करने हेतु विनियोग लेखे में पुनर्मिलान विवरण सम्मिलित किया जाता है।

रोकड़ आधार : लेखे, ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो प्राधिकृत है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और संवितरण को दर्शाता है। वित्त लेखे में प्राप्तियां एवं संवितरण निवल आधार पर है; पुर्नप्राप्तिया, कटौती और वापसियां का निवल।

पुस्तकीय समायोजन : पुस्तकीय समायोजन गैर रोकड़ संव्यवहार होते है जो लेखे में समायोजन/परिशोधन के रूप में सम्मिलित होता है। इनमें से कतिपय संव्यवहार, राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखा में वेतन से वसूली, समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य निधियों का स्थानांतरण हेतु 'निरंक' देयक इत्यादि का समायोजन लेखा प्रेषण इकाईयों जैसे– कोषालयों, संभागों इत्यादि के स्तर पर किये जाते है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी पुस्तकीय समायोजन किया जाता है। इनमें, लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन तथा निधियों को अंशदान का समायोजन समेकित निधि को नामे किया जाना (यथा

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

राज्य आपदा उन्मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, निक्षेप निधि इत्यादि); समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के आरक्षित निधियाँ/जमा शीर्षो में जमा किया जाना; सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बिमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन हेतु मुख्यशीर्ष 2049–ब्याज अदायगियों को नामे कर लोक लेखे में संबंधित मुख्यशीर्षो को जमा किया जाना; केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित है।

पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य वर्गीकरण : स्थायी प्रकृति की आस्तियां (शासकीय स्थापना में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य मामलों में बिक्री के लिए नहीं) प्राप्त करने या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किये गये महत्वपूर्ण व्यय को स्थूल रूप से पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुरक्षण, मरम्मत, संधारण एवं कार्यशील व्यय पर उत्तरवर्ती प्रभार जो कि परिसंपत्तियों को सचल बनाये रखने हेतु आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना के संचालन हेतु दैनिक किये गये समस्त व्यय तथा प्रशासनिक व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को लेखे में पृथक–पृथक दर्शाये जाते है।

भौतिक एवं वित्तीय संपत्ति तथा दायित्व : भौतिक संपत्ति एवं वित्तीय संपत्ति (जैसे निवेश, शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि) तथा दायित्व, जैसे कि ऋण, इत्यादि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्ति का मूल्यहास और वित्तीय संपत्ति का परिशोधन नहीं होता है। भौतिक संपत्तियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त अथवा मान्य नहीं किया जाता है।

सहायता अनुदान : भारत सरकार का लेखांकन मानक–2 : सहायता अनुदान के लेखांकन एवं वर्गीकरण, के परिपालन में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्रकरणों के अतिरिक्त नगद में प्रदत सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, यद्यपि यह अनुदेयी द्वारा परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित है। सभी प्राप्त अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्य की जाती है। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों के लेखांकन एवं वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जानकारी वित्त लेखे के विवरण 10 एवं परिशिष्ट–III में दर्शाया गया है। वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित विस्तृत जानकारी राज्य शासन के लिए उपलब्ध के रूप में प्रकट किया जाता है।

ऋण एवं अग्रिम : भारत सरकार का लेखांकन मानक–3 : शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, के परिपालन में राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिम का विवरण वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18 में दर्शाया गया है। विवरणों में दर्शाये गये 31 मार्च 2025 का अंतिम शेष कोषालयों से प्राप्त प्रमाणकों और चालानों के आधार पर निकाली गई है एवं ऋणी संस्थाओं/राज्य शासन के साथ पुनर्मिलान करने की आवश्यकता है।

पूर्व अवधि समायोजनों : भारत सरकार का लेखांकन मानक–4 पूर्व अवधि समायोजनों के परिपालन में, राज्य शासन विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है एवं ऐसी जानकारी को प्रकट करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित है तथा शासकीय निर्णयों में परिवर्तन से उत्पन्न पूर्व अवधि समायोजनों हेतु आवश्यक प्रविष्टियों को समाविष्ट करती है, जो वर्तमान शेष एवं पूर्व वर्षो के प्रगामी राशि, जिसके लिये लेखे बंद कर दिया गया है, को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त समायोजनों की जानकारी विवरण क्रमांक 13 के अनुलग्नक में सम्मिलित किया गया है एवं संबंधित विवरण में पूर्व अवधि संव्यवहार पादटीप के माध्यम से दर्शाया गया है।

सेवानिवृत्ति लाभ : रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 'पे एज यू गो' भुगतान के आधार के अनुसार संवितरित सेवानिवृत्ति लाभ को लेखे में दर्शाया गया है, किन्तु पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन दायित्वों, अर्थात कर्मचारियों के पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के दायित्वों को लेखे में सम्मिलित नहीं है। यद्यपि, आगामी तीन वर्षो (2025–26 से 2027–28) के लिए अनुमानित पेंशन दायित्वों वित्त लेखे के *परिशिष्ट-XII* में प्रतिबिंबित की गई है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(vi) पूर्णांकन : संबंधित विवरणों के शीर्ष में किये गये उल्लेख के अनुसार आंकड़ो को लाख एवं करोड़ में पूर्णांकित कर दर्शाया गया है। सारांशित तथा विस्तृत विवरणों के मध्य पूर्णांकित आंकड़ों के संबंध में जहॉ कहीं भी अंतर होता है, वह आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेष : लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग में संधारित राज्य शासन के लेखे में अभिलिखित शेष राशि है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे से संबधित रोकड़ संव्यवहारों के उपरान्त शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन गैर रोकड़ संव्यवहार होने के कारण रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते। वित्त लेखे में प्रतिवेदित रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक के पुस्तकों के साथ पुनर्मिलान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्धित दायित्वों का प्रकटीकरण : भारत सरकार का लेखांकन मानक–1 : **'शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियॉ',** क्षेत्र एवं वर्गवार प्रत्याभूतियॉ के विवरण को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारी के अनुसार वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दर्शाई गई है।

शासन प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है एवं प्रतिबद्धताओं को न तो अभिलिखित की जाती है न ही प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध दायित्वों को लेखे में मान्य की जाती है। यद्यपि यह वित्त लेखे के *परिशिष्ट–XII* के अन्तर्गत अपनी भविष्य की प्रतबद्धताओं को प्रकट करता है।

(ix) निकासी संव्यवहार : निकासी संव्यवहार, राज्य द्वारा संग्रहित प्राप्तियों के प्रकृति का है जिसे अन्य इकाईओं को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, को वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियॉ में दर्शाया गया है। इनमें राज्य कैम्पा निधि में वर्ष के संग्रह का 10 *प्रतिशत* वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरण, रॉयल्टी का दो *प्रतिशत* राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को स्थानांतरण, श्रमिक उपकर को संग्रहित कर शासकीय लेखे में रखा जाना एवं भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को स्थानांतरित किया जाना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रांश को सिंगल नोडल एजेंसी को स्थानांतरण, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान को शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्थानांतरण, लोक लेखे में निर्दिष्ट मुख्यशीर्ष से एन.पी.एस. अंशदान को नामांकित निधि प्रबंधक को स्थानांतरण आदि सम्मिलित है।

2. लेखांकन रूपरेखा का अनुपालन :

(i) मासिक लेखे बंद होने के उपरांत कोषालयों द्वारा लेखे को फ्रीज न करना : प्रचलित प्रथा के अनुसार, लेखे राज्य शासन द्वारा बंद किये जाने तथा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने उपरान्त इसे किसी भी परिवर्तन हेतु सोला नहीं जायेगा, चूंकि इससे मासिक लेखे में असमानता होती है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के माध्यम से कोषालयों द्वारा ऑनलाइन लेखा प्रस्तुतीकरण के पश्चात लेखे को फ्रीज किया जाना है। मासिक लेखे को बंद करने के पश्चात कोषालयों द्वारा लेखे को फ्रीज न करने से कार्यालय प्रधान महालेखाकार को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात डेटा में संशोधन की संभावना रह सकती है एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार तथा राज्य शासन के मध्य आंकड़ों/डेटा का मिलान नहीं हो सकता है।

ई–लेखे तथा ई–वाउचर जुलाई 2024 से लागू किये गये हैं तथा मिडिल वेयर सर्वर के माध्यम से एनएएस स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित किया जाता है, जो कार्यालय प्रधान महालेखाकार में रखा है। एक बार जब कोई ई–लेखे बंद हो जाता है, तो कोषालय या संचालनालय स्तर पर सुधार कार्य नहीं किया जा सकता। मासिक लेखे बंद होने के पश्चात राज्य शासन के लेखे को फ्रीज किया जाता है।

(ii) अनधिकृत शीर्षों का संचालन : वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा कोई भी अनधिकृत लेखाशीर्ष नहीं खोला गया।

(iii) बिना सलाह के नए उप शीर्षो/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोला जाना : भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखे का प्रारूप को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा दिये गये सलाह के अनुसार रखा

जाना है। वर्ष 2024–25 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से सलाह लिये बिना बजट में 115 नवीन उप शीर्ष (राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 92, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 12 एवं राजस्व तथा पूंजीगत दोनों के अन्तर्गत 11) खोल गये। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने इन शीर्षो के अन्तर्गत बजट प्रावधान प्रदान किये तथा राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 6,514.91 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ₹ 326.03 करोड़ का व्यय इन शीर्षो में किया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयानुकूल सलाह लेने हेतु राज्य शासन को सलाह दी गई।

(iv) बजट प्रावधान के वर्णन में विसंगति तथा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण : वर्ष 2024–25 के राज्य शासन के बजट दस्तावेजों में निम्नोक्त लेखाशीर्ष से संबंधित बजट प्रावधान तथा सही वर्गीकरण का वर्णन नहीं किया है–

छत्तीसगढ़ शासन ने लघुशीर्ष 191 से 193 नगर निगम/नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को सहायता तथा लघुशीर्ष 196 से 198– जिला पंचायतों, ब्लाक और ग्राम पंचायतों को सहायता से संबंधित बजट प्रावधान राजस्व शीर्षो के स्थान पर पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत किया। जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान को अधिक दर्शाया गया। त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण के संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा वर्ष 2024–25 के बजट समीक्षा प्रतिवेदन में राज्य शासन को अवगत किया गया था। इसे पैरा 3 (ii) ''राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण'' में सम्मिलित किया गया है।

3. समेकित निधि :

(i) वस्तु एवं सेवा कर : वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य का वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण ₹ 16,298.59 करोड़ था जो वर्ष 2023–24 के ₹ 13,793.29 करोड़ के तुलना में ₹ 2,505.30 करोड़ (18.16 *प्रतिशत*) की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की अग्रिम प्रभाजन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का समनुदेशित निवल आगमों का स्वयं का हिस्सा के रूप में राज्य शासन ने ₹ 12,805.19 करोड़ प्राप्त किया। वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 29,103.78 करोड़ थी। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राज्य को वर्ष 2024–25 में ₹ 127.62 करोड़ का गैर–ऋण क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वर्ष 2024–25 के दौरान, वस्तु एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति के एवज में ₹ 5,966.29 करोड़ (वर्ष 2023–24 के ₹ 3,693.56 करोड़ एवं वर्ष 2023–24 के ₹ 2,272.73 करोड़) का समायोजन तथा कमी शासन के नीति के कारणों से पूर्व अवधि समायोजन के अन्तर्गत प्रोफार्मा संशोधन के माध्यम से की गई है। 31 मार्च 2025 की स्थिति में बैक–टू–बैक ऋण का अंतशेष ₹ 2,107.86 करोड़ रहा।

(ii) राजस्व और पूंजीगत व्यय के मध्य त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण : वर्ष 2024–25 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 20.56 करोड़ की व्यय को राजस्व अनुभाग के स्थान पर त्रुटिपूर्वक पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया तथा ₹ 0.75 करोड़ का व्यय को पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर त्रटिपूर्वक राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया जो कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित होता है।

वर्ष 2024–25 के दौरान मुख्य एवं लघु शीर्षो की सूची अनुसार, विभिन्न निकायों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त लघु शीर्ष 191–193 तथा 196–198 का संचालन केवल राजस्व व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा। बजट समीक्षा से प्रकाशित हुआ कि छत्तीसगढ़ शासन ने राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत मुख्यशीर्ष 4210, 4217 एवं 4515 (उद्देश शीर्ष : 28–मशीन और उपकरण, 34–वाहनों का क्रय तथा 45–पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण) के माध्यम से सहायता अनुदान की प्रकृति के सहायता हेतु ₹ 1,214.23 करोड़ का व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ से राजस्व व्यय में आधिक्य तथा पूंजीगत व्यय में कमी दर्शायी गई एवं ₹ 1,234.79 करोड़ से पूंजीगत व्यय में आधिक्य तथा राजस्व व्यय में कमी दर्शायी गई।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(iii) राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा प्रदत्त किये गये ऋण एवं अग्रिम राशि का सी.सी.ओ. और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य पुनर्मिलान : सभी नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ो का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ो से पुनर्मिलान करें।

वर्ष 2024–25 (03/2025 तक) के दौरान राज्य शासन द्वारा राशि ₹ 1,39,425.94 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 90.67 *प्रतिशत*) के प्राप्तियों तथा राशि ₹ 1,52,039.28 करोड़ (कुल व्यय का 97.06 *प्रतिशत*) व्यय का पुनर्मिलान किया गया, जिसमें से ₹ 304.45 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम (कुल वितरित ऋण एवं अग्रिम का 94.65 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान किया गया है।

वर्ष 2023–24 अर्थात गत वर्ष के दौरान राशि ₹ 1,56,605.72 करोड़ की प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 99.38 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान किया गया एवं राशि ₹ 1,50,428.97 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 97.31 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान राज्य शासन द्वारा किया गया।

(iv) लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' एवं 800–'अन्य प्राप्तियॉ' के अन्तर्गत दर्ज राशि : लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/800–अन्य प्राप्तियों का परिचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं है। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है। वर्ष 2024–25 के दौरान, लेखे के 28 मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत ₹ 771.18 करोड़ कुल राशि के ₹ 1,45,444.44[1] करोड़ राजस्व (₹ 1,25,389.82 करोड़) एवं पूंजीगत व्यय (₹ 20,054.62 करोड़) का 0.53 *प्रतिशत* को लेखे में लघुशीर्ष 800–'अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया।

गत वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखे के 26 मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत ₹ 768.52 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,30,159.89 करोड़) का 0.59 *प्रतिशत* को लेखे में लघु शीर्ष 800–'अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, लेखे के 44 मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत ₹ 5,794.58 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियॉ (₹ 1,20,290.35 करोड़) का 4.82 *प्रतिशत* को लेखे में मुख्यशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। गत वर्ष के दौरान, लेखे के 43 मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत ₹ 6,099.05 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियॉ (₹ 1,03,508.20 करोड़) का 5.89 *प्रतिशत* को लेखे में लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियॉ' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

(v) व्यक्तिगत् निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण : व्यक्तिगत निक्षेप खाते नामित आहरण अधिकारियों को योजना से संबंधित विशेष उद्देश्य के लिए व्यय किये जाने हेतु सक्षम करता हैं।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार तथा व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की शर्तों के अधीन, समेकित निधि से व्यक्तिगत निक्षेप खाते में स्थानांतरित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के अन्तर्गत संबंधित लेखाशीर्षो, जहॉ से राशि को स्थानांतरित की गई थी, में प्रतिलेखित किया जाना है। यद्यपि, यदि व्यक्तिगत जमा खाता तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहते हैं, तो इन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार के खाते में शेष राशि के पुनर्मिलान एवं प्रमाणीकरण के पश्चात बंद किया जाना होता है। ऐसे व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने पर शेष राशि मुख्यशीर्ष 8443–101 के अन्तर्गत राजस्व जमा के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य शासन के आदेश के सरल क्रमांक 2 (बी) के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खातो के किसी भी प्रशासकों (129 में से) ने अपने शेषों का कोषालय के आंकड़ों (कोषालय में) के साथ पुनर्मिलान एवं सत्यापन नहीं किया तथा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

---

[1] इसमें ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण का आंकड़ा सम्मिलित नहीं है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

31 मार्च 2025 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष		वर्ष 2024–25 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2024–25 के दौरान किये गये बंद/आहरण		31 मार्च 2025 को अंतशेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
130	1,352.90	03	224.69	04	205.32	129	1,372.27

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के समेकित निधि से इन व्यक्तिगत निक्षेप खाते में ₹ 25.84 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई। इसमें मार्च 2025 में स्थानांतरित ₹ 11.53 करोड़ सम्मिलित है। व्यक्तिगत जमा खाते से ₹ 182.14 करोड़ की राशि को आहरित की गई।

वर्ष के दौरान, चार व्यक्तिगत निक्षेप खाते, जिसमें ₹ 23.18 करोड़ की शेष रहा। व्यक्तिगत निक्षेप खाते बंद किये जाने के पश्चात ₹ 23.18 करोड़ की राशि को लोक लेखा के मुख्यशीर्ष 8443–101 (राजस्व जमा) में स्थानांतरित किया गया।

विगत तीन वर्षो में चार व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिसमें ₹ 4.90 करोड़ की शेष राशि थी, निष्क्रिय रहा। संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 में उपलब्ध हैं।

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक : वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषालय नियम 290) एवं छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल किये जाने वाले संवितरण के अतिरिक्त कोई भी राशि शासकीय कोषालय से आहरित नहीं की जायेगी। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है। छत्तीसगढ़ कोषालय नियम के सहायक नियम 327 के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अंतिम व्यय के प्रमाणक सहित विस्तृत आकस्मिक देयक जिस माह में संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये थे उसके आगामी माह के 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्त आकस्मिक देयक द्वारा किये गये व्यय के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक देयकों का विलंब से प्रस्तुती या लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से संक्षिप्त आकस्मिक देयक से किये गये व्यय पारदर्शी नहीं रहती है तथा वित्त लेखे में प्रदर्शित व्यय को अंतिम या सही रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

31 मार्च 2024 तक (फरवरी 2024 के लेखे तक) ₹ 28.60 करोड़ की राशि के 442 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयक के लिए देय थे। मार्च 2024 के दौरान ₹ 2,632.18 करोड़ की राशि के 120 संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये। वर्ष 2024–25 में (फरवरी 2025 के लेखे तक) ₹ 5,320.31 करोड़ की राशि के कुल 289 संक्षिप्त आकस्मिक देयक आहरित किये गये जिसके विरूद्ध ₹ 5,339.86 करोड़ के 336 विस्तृत आकस्मिक देयक प्राप्त हुये। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में ₹ 9.05 करोड़ की राशि के कुल 395 संक्षिप्त आकस्मिक देयक असमायोजित रहे।

समायोजन हेतु देय असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का विवरण निम्नाकिंत दिया गया हैः

वर्ष	असमायोजित ए.सी. देयको की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022–23 तक	56	2.53
2023–24	112	0.67
2024–25	227	5.85
योग	**395**	**9.05***

* इनमें राज्य शासन द्वारा एस.एन.ए. को किये गये स्थानांतरण से संबंधित ₹ 2.50 करोड़ को ए.सी देयक सम्मिलित हैं।

मार्च 2025 के दौरान ₹ 2,741.37 करोड़ (34.00 *प्रतिशत*) की राशि के 123 ए.सी. देयक आहरित किये गये।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(vii) सहायता अनुदान हेतु अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र : छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनुवर्ती सशर्त अनुदान के प्रकरण में, अनुदेयी द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र को अनुदान स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं/या अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, वित्त लेखे में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों को प्राप्त नही होने की एक जोखिम है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने सहायता अनुदान स्थानांतरित किये जाने हेतु ₹ 49,556.05 करोड़ का व्यय किया है। यह देखा गया कि ₹ 49,556.05 करोड़ में से, 141 उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित ₹ 1,198.90 करोड़ के अनुदान को सशर्त अनुदान के रूप में चिन्हित किया गया था, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र को वर्ष 2024–25 में प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया था। वर्ष के दौरान, ₹ 1,198.59 करोड़ के 138 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है, जिसमें ₹ 0.31 करोड़ मूल्य के 03 असमायोजित उपयोगिता प्रमाण पत्र रहे।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यों में सहायता अनुदान तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रणाली की समीक्षा हेतु एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन सहित सभी मुख्य सचिवों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2025 के माध्यम से परिचालित की गई थी। कार्य समूह यह अनुशंसित किया कि राज्य शासन सक्रिय रूप से अपने कोषालय नियम तथा वित्तीय संहिता को भारत सरकार द्वारा अनुपालित सामान्य वित्तीय नियमावली 2017, जो प्रकट करता है कि लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से किये गये प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण भुगतान तथा पहले ही किये गये व्यय के विरूद्ध प्रतिपूर्ति के रूप में जारी सहायता की प्रकरणों को छोड़कर सभी सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्रो का निरीक्षण किया जाना है, के अनुरूप व्यापक रूप से नवीनीकरण करें। छत्तीसगढ़ शासन इन अनुशंसायों को ग्रहण किये जाने हेतु तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निरीक्षण, लेखांकन एवं यथा समय प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रचलित प्रक्रिया का पुर्नलोकन किये जाने हेतु विचार कर सकती है।

(viii) ब्याज समायोजन : शासन, (ञ) आरक्षित निधि (क–ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ) एवं ट–जमा तथा अग्रिम (क–ब्याज वाली जमा) के श्रेणी अन्तर्गत शेष राशि पर ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षो की सूची में विशिष्ट उप मुख्यशीर्षो का प्रावधान किया गया है।

इन निधियों/जमा का विवरण एवं वर्ष 2024–25 के दौरान शासन द्वारा भुगतान किये गये ब्याज निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

निधियॉ/जमा	1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	ब्याज भुगतान	ब्याज कम भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	21.58	ब्याज की गणना शासन द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि के देय ब्याज दर (7.1 *प्रतिशत*) के अनुसार की गई है।	1.32	निरंक	1.32

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(₹ करोड़ में)

निधियॉ/जमा	1 अप्रैल 2024 को शेष राशि	ब्याज की गणना हेतु आधार	देय ब्याज	ब्याज भुगतान	ब्याज कम भुगतान
राज्य आपदा उन्मोचन निधि	489.93	ब्याज की गणना अधिविकर्षण पर लागू दर जो कि रेपो रेट + 2 *प्रतिशत* (8.50) है पर की गई है।	32.71	निरंक	32.71
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)		04.12.2024 को प्राप्त केन्द्रांश (₹ 33.24 करोड़) को 6 दिन विलंब से स्थानांतरण बैंक दर अर्थात 6.75 *प्रतिशत* पर	0.04	निरंक	0.04
		04.12.2024 को प्राप्त केन्द्रांश (₹ 33.24 करोड़) के विरूद्ध राज्यांश (₹ 11.08 करोड़) को 43 दिन विलंब से स्थानांतरण बैंक दर अर्थात 6.75 *प्रतिशत* पर	0.09	निरंक	0.09
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	199.42	निधि का गैर–निवेश– रेपो रेट + दो *प्रतिशत* (8.50)	24.67	निरंक	24.67
योग			**58.83**	**0.00**	**58.83**

₹ 58.83 करोड़ ब्याज दायित्व का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 58.83 करोड़ की कमी हुई।
यह वित्त लेखे के विवरण 15, 21 तथा 22 के आंकड़ों के संदर्भ में है।

(ix) **शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियॉ :** छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रत्याभूति नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान शासन द्वारा दिये गये कुल शासकीय प्रत्याभूति, महालेखाकार के पुस्तकों के अनुसार पूर्व वर्ष के राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹ 1,362.32 करोड़ की 03 नई प्रत्याभूति जारी की गई। तथापि, वर्ष 2024–25 में प्रत्याभूति मौजूदा अधिकतम राशि के तुलना में ₹ 3,166.81 करोड़ की प्रत्याभूति ली गई। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 3,166.81 करोड़ की प्रत्याभूति वर्ष 2023–24 में राज्य का स्वयं के राजस्व प्राप्तियों (₹ 53,934.19 करोड़) के 5.87 *प्रतिशत* तथा निर्धारित सीमा के भीतर रहा।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28/2002 दिनांक 22.05.2002 के अनुसार सरकार प्रत्याभूति राशि का न्यूनतम 0.50 *प्रतिशत* प्रत्याभूति शुल्क के रूप में लेगी। वर्ष 2024–25 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में ₹ 161.30 करोड़ प्राप्त हुए हैं। (कतिपय प्रत्याभूति को राज्य शासन द्वारा प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन के भुगतान से छूट दी गई है। ऐसे मामलों को प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया हैं)
प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 09, 14 एवं 20 पर उपलब्ध हैं।

(x) **पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय :** राज्य शासन द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण हेतु किये गये व्यय को वित्त लेखे में विभिन्न कार्यात्मक लेखाशीर्षो के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर दर्शाया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, मुख्यशीर्ष 2406, 4406 एवं 4702 के अन्तर्गत ₹ 567.82 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 362.44 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त मुख्यशीर्ष 2402 के अन्तर्गत ₹ 212.71 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 54.93 करोड़ का व्यय किया।

गत वर्ष 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यशीर्ष 2406 एवं 4702 के अन्तर्गत ₹ 414.13 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 368.07 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, मुख्यशीर्ष 2402 के अन्तर्गत ₹ 205.67 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 267.95 करोड़ का व्यय किया।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय : वर्ष 2024–25 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं (आपदा) से संबंधित राहत उपायों पर मुख्यशीर्ष 2245 के अन्तर्गत ₹ 312.08 करोड़ (गत वर्ष ₹ 204.44 करोड़) का व्यय किया।

शासन को केन्द्र सरकार से राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत ₹ 380.80 करोड़ का सहायता अनुदान/केन्द्रीय सहायता (वर्ष 2024–25 की प्रथम एवं द्वितीय किश्त) प्राप्त हुआ, जिसका लेखांकन मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत किया गया है।

(xii) केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा फरवरी 2012 में, विभिन्न मंत्रालयो (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणो को छोड़कर) द्वारा राज्य शासन को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में प्रदत्त ऋणो को अपलेखित किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) तथा इसके क्रियान्वयन के मध्य किये गये मूलधन एवं ब्याज का अधिक पुनर्भुगतान को वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले पुनर्भुगतान के विरूद्ध समायोजित किये जाने हेतु राज्य शासन को अनुमति प्रदान की। छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2025 के अंत तक ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया जिसका समायोजन वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।

(xiii) राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण : ₹ 46.72 करोड़ के पुराने ऋणों (जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संधारित किया जाता है) का विगत कई वर्षो से मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं हुई है तथा ऐसे ऋण 10 वर्षो से अधिक पुराने है।

संविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं को दिये गये ₹ 591.60 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान का नियमों और शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। (वित्त लेखे के विवरण 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में विवरण हैं)। परिणामस्वरूप, इस लेखे पर राज्य शासन की प्राप्तियों का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रतिवर्ष ऋण शेषों (जहॉ प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखे का संधारित किया जाता है) का सत्यापन तथा स्वीकृति हेतु ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। किसी भी कर्जदार ने शेष राशि की पुष्टि नहीं की है। विभागीय अधिकारियों से शेष राशि का पुनर्मिलान के लिए अपेक्षित जानकारी का विवरण वित्त लेखे के *परिशिष्ट–VII* में दिया गया है।

(xiv) प्रतिबद्धित दायित्व : बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपचय लेखांकन (एक्रूअल अकाऊन्टिग) की ओर अग्रसर होने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तथापि, चूंकि परिवर्तन चरणों में घटित होगा, उपचय पर आधारित लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन हेतु, कतिपय अतिरिक्त जानकारी विवरण के रूप में नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में संलग्न किया जाना आवश्यक है जिससे निर्णयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध दायित्वों की जानकारी दिया जाना था जिसे वित्त लेखे के *परिशिष्ट–XII* में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने प्रतिबद्व दायित्वों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।

(xv) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर व्यय :

वर्ष के दौरान 31 मार्च 2025 की स्थिति में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 20,305.60 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 15,408.16 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 4,897.44 करोड़) दर्ज किया गया है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं केन्द्रीय सहायता के केन्द्रांश से संबंधित ₹ 10,419.34 करोड़ तथा राज्यांश से संबंधित ₹ 9,886.26 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(xvi) राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर उपलब्ध कराई गई निधि) : महालेखा नियंत्रक के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों (एनजीओ, केन्द्र सरकार के संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी / ग्रामीण निकाय, लाभार्थी आदि) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ₹ 10,928.12 करोड़ प्राप्त किये गये। वर्ष 2023–24 के तुलना में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि के प्रत्यक्ष स्थानांतरण में 11.95 *प्रतिशत* (₹ 12,411.41 करोड़) की कमी हुई। विस्तृत विवरण वित्त लेखे के *परिशिष्ट–VI* में दर्शाया गया है।

(xvii) राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व : ऑफ बजट उधार शासन का दायित्व है क्योंकि मूलधन तथा उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से शासन के बजट से राज्य के संस्थाओं को सहायता अथवा अनुदान के रूप में चुकाया जाता है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, राज्य शासन के पास वर्ष 2024–25 के अंत तक छः संस्थाओं के विरूद्ध (राज्य शहरी विकास अभिकरण–₹ 1,431.48 करोड़, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम– ₹ 1,350.30 करोड़, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन मर्यादित,–शून्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल–शून्य, छत्तीसगढ़ सड़क तथा अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित–शून्य) ₹ 2,781.78 करोड़ की ऑफ बजट दायित्व थी। वर्ष 2024–25 के दौरान कोई नई ऑफ बजट दायित्व को प्रतिवेदित नहीं की गई। यद्यपि, वित्त मंत्रालय के 23 जून 2025 के पत्र के अनुसार, जिसमें सभी राज्यों के समेकित आंकड़े को प्रतिवेदित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य ने ₹ 584.21 करोड़ का नया ऑफ बजट दायित्व लिया है।

राज्य शासन ने 2025–26 के बजट दस्तावेजों में वर्ष 2024–25 के लिए अपने ऑफ बजट दायित्व की स्थिति का प्रकट नहीं किया।

(xviii) सिंगल नोडल एजन्सी (एस.एन.ए.) को निधि का स्थानांतरण : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र क्रमांक आई (13) पीएफएमएस / एफसीडी / 2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने एवं एस.एन.ए. के माध्यम से जारी धन का उपयोग की निगरानी हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया। प्रत्येक सी. एस.एस. के लिए एस.एन.ए. की स्थापना की गयी है, जिसका अपना बैंक खाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में है, जिसे राज्य सरकार द्वारा शासकीय व्यवसाय संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार राज्य शासन, केन्द्रांश के साथ–साथ अनुरूप राज्यांश को भी केन्द्रांश की प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर एस.एन.ए. के खातें में स्थानांतरित किया जाना है। एस.एन.ए. खाते में केन्द्रांश के स्थानांतरण में 30 दिवस से अधिक विलंब होने पर प्रभावी दिनांक 01.04.2023 से 7 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना होगा। एस.एन.ए. 15 रिपोर्ट अनुसार, राज्य कोषालय से एस.एन.ए. को केन्द्रांश के स्थानांतरण में विलंब के कारण ₹ 40.30 करोड़ का ब्याज देय है।

एस.एन.ए. 01 (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल) तथा राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य शासन को वर्ष के दौरान कोषालय लेखे में ₹ 10,602.91 करोड़ का केन्द्राश प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2025 तक, राज्य शासन ने एस.एन.ए. को ₹ 9,032.00 करोड़ का केन्द्राश तथा ₹ 9,446.09 करोड़ का राज्यांश स्थानांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत प्रमाणक तथा सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। एस.एन.ए. 01 (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल) तथा राज्य शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार, 31 मार्च 2025 की स्थिति में एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 6,152.60 करोड़ अव्ययित रहा।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 11,799.98 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2025 की स्थिति में, शासन ने एस.एन.ए. को ₹ 10,419.33 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹ 9,886.24 करोड़ का राज्यांश स्थानांतरित किया। वित्त लेखे तथा एस.एन.ए. रिपोर्ट के आंकड़ों के मध्य अंतर पुनर्मिलान के अधीन है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

कुल ₹ 20,305.57 करोड़ की स्थानांतरण में से, संक्षिप्त आकस्मिक देयको के माध्यम से ₹ 2.50 करोड़, सहायता अनुदान देयको के माध्यम से ₹ 14,723.40 करोड़, पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिक देयको के माध्यम से ₹ 4,862.04 करोड़ तथा अन्य (चिकित्सा देयक, छात्रवृत्ति, एस.आर. फार्म, यात्रा अग्रिम देयक एवं वेतन देयक) के माध्यम से ₹ 717.63 करोड़ स्थानांतरित किया गया। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के केन्द्रांश की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना है। वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के केन्द्रांश की अव्ययित शेष राशि पर ₹ 22.80 करोड़ एवं ₹ 1.53 करोड़ की राशि का अर्जित ब्याज राज्य शासन/एस.एन.ए. द्वारा भारत की समेकित निधि के स्थान पर राज्य की समेकित निधि में जमा की गई। इस राशि में से ₹ 22.59 करोड़ (2022–23) की राशि भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित की गई है, जिससे वर्ष 2024–25 के अंत तक ₹ 1.75 करोड़ (वर्ष 2022–23 का ₹ 0.21 करोड एवं वर्ष 2023–24 का ₹ 1.53 करोड़) अस्थानांतरित रहा।

4. **आकस्मिकता निधि :** छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के धारा 5 के साथ पठित छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निधि के अभिरक्षा, उसमें धनों के भुगतान और उसमें से धनों को निकालने से संबंधित या इन सब बातों में सहायक समस्त विषयों का नियमन करने के लिए नियम बना सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 100.00 करोड़ की राशि है। वर्ष के दौरान, निधि से ₹ 136.84 करोड़ की राशि आहरित की गई एवं ₹ 112.89 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई (इसमें वर्ष 2023–24 की ₹ 13.47 करोड़ की राशि सम्मिलित है)। वर्ष 2024–25 के अंत तक, मुख्यशीर्ष 2055–पुलिस से संबंधित ₹ 37.42 करोड़ की राशि की अप्रतिपूरित रही।

   31 मार्च 2025 की स्थिति में आकस्मिकता निधि में ₹ 62.58 करोड़ शेष है।

   संबंधित आंकड़े वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 1, 2 तथा 21 में उपलब्ध है।

5. **लोक लेखा :**

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना :

दिनांक 01.11.2004 को या उसके पश्चात नियुक्ति किये गये राज्य शासन के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी. एस.) के अन्तर्गत है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अन्तर्गत, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 *प्रतिशत* तथा राज्य शासन को 14 *प्रतिशत* की दर से अंशदान देना होता है।

संपूर्ण राशि को ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र क्रमांक 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में प्रत्यावर्तन अधिसूचित किया है। एन.पी.एस. के अन्तर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने ओ. पी.एस. एवं 10,349 ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) का विकल्प चुना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान कर्मचारी अंशदान ₹ 25.54 करोड़, शासकीय अंशदान ₹ 35.25 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान ₹ 2.39 करोड़ सहित राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुल अंशदान ₹ 63.18 करोड़ था।

₹ 63.18 करोड़ की कुल अंशदान के विरूद्ध ₹ 61.71 करोड़ मुख्यशीर्ष 8342–117 एवं ₹ 0.62 करोड़ मुख्यशीर्ष 2071 से ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की गई जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में ₹ 0.85 करोड़ का आधिक्य हुई। शासकीय अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 15 में मुख्यशीर्ष 2071 के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(ii) (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियॉ :

(ए) राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ): राज्य आपदा उन्मोचन निधि (मुख्यशीर्ष '8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां' के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधि के अधीन है) के गठन एवं प्रशासन से संबंधित दिशानिर्देशों

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात से निधि में अंशदान किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्रांश के रूप में ₹ 380.80 करोड़ (वर्ष 2024–25 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त) प्राप्त की। अनुरूप राज्यांश ₹ 127.20 करोड़ है। ₹ 508.00 करोड़ की सम्पूर्ण राशि को मुख्यशीर्ष '8121–122 राज्य आपदा उन्मोचन निधि' में स्थानांतरित की गई। केन्द्रांश की स्थानांतरण में विलम्ब हेतु राज्य शासन द्वारा ₹ 0.76 करोड़ की राशि का भुगतान निधि में किया गया।

₹ 19.32 करोड़ को कोषालय जमा प्रत्यक्ष रूप से कोषालय द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि में जमा की गई जिसमें से ₹ 18.93 करोड़ को त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई चूंकि इसमें ₹ 15.36 करोड, जिसे कैम्पा में दर्ज किया जाना था एवं ₹ 3.57 करोड़, जिसे राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत दर्ज किया जाना था, सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.36 करोड़ से कैम्पा फण्ड में कमी तथा एस.डी.आर.एफ. में आधिक्य हुई। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति को ₹ 3.57 करोड़ से कम दर्शाया गया।

₹ 312.08 करोड़ का व्यय निधि से किया गया एवं अंतशेष ₹ 750.26 करोड़ रहा।

एन.डी.आर.एफ. हेतु केन्द्र सरकार से ₹ 33.24 करोड़ राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2024–25 के दौरान केन्द्रांश–₹ 33.24 करोड़ तथा राज्यांश–₹ 11.08 करोड़ सहित राज्य शासन ने ₹ 44.32 करोड़ राज्य आपदा उन्मोचन निधि में स्थानांतरित किया।

(बी) **राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) :** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस.डी.एम.एफ.) का गठन किया जाना है। यह निधि केवल राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सम्मिलित आपदा एवं समय–समय पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित राज्य विशेष स्थानीय आपदा से संबंधित न्यूनीकरण परियोजनाओं के उद्देश्य से है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–नं.1–93/राजस्व/राहत/2020, दिनांक 24.04.2020 के माध्यम से मुख्यशीर्ष 8121–130– 'राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि' के अन्तर्गत एस.डी.एम.एफ. गठन किया।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से संबंधित कोई भी अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन ने मुख्यशीर्ष 8121–130 एस.डी.एम.एफ. के अन्तर्गत निधि में गत वर्ष 2022–23 से संबंधित ₹ 121.05 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 90.80 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 30.25 करोड़) की राशि स्थानांतरित किया। केन्द्रांश के स्थानांतरण में विलम्ब होने पर ब्याज हेतु राज्य शासन ने वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 8.61 करोड़ की राशि को एस.डी.एम.एफ. में स्थानांतरित किया। वर्ष 2024–25 के अंत में एस. डी.एम.एफ. में अंतशेष ₹ 329.07 करोड़ रहा जिसमें से कोई भी राशि निवेशित नहीं है।

(सी) **राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के परिपालन में प्रतिकरात्मक वनरोपण करने हेतु उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त राशियों के लिए लोक लेखा में ब्याज वाले अनुभाग के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का गठन किया जाना चाहिए। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा जमा किये जाने वाले प्रतिकरात्मक वनरोपण से संबंधित प्राप्तियों को प्रथम अवसर पर राज्य शासन द्वारा प्राप्त किया जाना है।

तदोपरान्त, 10 *प्रतिशत* की केन्द्रांश को राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में तथा 90 *प्रतिशत* को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में स्थानांतरित किया जाना होगा। राज्य शासन ने उपयोगकर्ता अभिकरणों से शुल्क की प्राप्ति हेतु समर्पित खाता नहीं खोले। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार, वन भूमि के व्यपवर्तन के मामलों में उपयोगकर्ता अभिकरणों परिवेश–II पोर्टल पर ऑनलाइन चालान के माध्यम से राशि जमा करती है, जिनका लेखांकन राष्ट्रीय कैम्पा के अन्तर्गत संकलित किया जाता है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रारंभिक शेष ₹ 3,383.83 करोड़ है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन को राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से ₹ 909.62 करोड़ प्राप्त हुए जो उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा जमा की गई राशि का 90 *प्रतिशत* हैं (01.04.2022 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु ₹ 801.34 करोड़ एवं 01.04.2024 से 31.08.2024 तक को अवधि हेतु ₹ 108.28 करोड़) ₹ 221.16 करोड़ का ब्याज (निवेश से प्राप्त) निधि में जमा किया गया। शासन ने इस निधि से ₹ 500.00 करोड़ का व्यय किया तथा ₹ 3,671.15 करोड़ का निवेश किया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में कुल शेष राशि ₹ 4,014.61 करोड़ रही।

(डी) **छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि :** छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 के भाग 3 (2) के अनुसार प्रत्येक वर्ष, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित खनिज राजस्व के पांच *प्रतिशत* की समतुल्य राशि निधि हेतु चिन्हित तथा अभिदाय किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन द्वारा ₹ 639.77 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में स्थानांतरण किया जाना था (वर्ष 2023–24 के दौरान संग्रहित ₹ 12,795.35 करोड़ की खनिज राजस्व का पांच *प्रतिशत*) जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा कोई भी राशि का स्थानांतरण नहीं किया गया। ₹ 639.77 करोड़ की कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में उस सीमा तक कमी हुई। ₹ 251.05 करोड़ का व्यय राज्य खनिज विकास निधि से की गई है।

(ख) **बिना ब्याजवाली आरक्षित निधियॉ :**

(ए) **समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ) :** छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2006–07 में ऋणों का परिशोधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित समेकित निक्षेप निधि का गठन किया। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा समेकित निक्षेप निधि में पूर्व वर्ष के अंत तक बकाया दायित्व (आंतरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व ₹ 1,15,431.98 करोड़) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान किया जाना है। वर्ष 2024–25 में ₹ 577.16 करोड़ का निधि में अंशदान किया जाना था जिसके विरूद्ध शासन ने केवल ₹ 480.00 करोड़ का अंशदान किया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में निधि का कुल संचय ₹ 4,181.94 करोड़ था (31 मार्च 2024 को ₹ 3,701.94 करोड़)।

(बी) **राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि :** राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन किया है। राज्य शासन द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन में यह निर्धारित करता है कि वर्ष 2023 से राज्य शासन प्रारंभ में विगत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम एक *प्रतिशत* अंशदान करेगी तथा उसके पश्चात आगामी पांच वर्षों में 3 *प्रतिशत* का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* का अंशदान किया जायेगा।

निधि को धीरे–धीरे बढ़ाकर 5 *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक वृद्धि किया जाएगा। यदि प्रत्याभूति उन्मोचित की गई है या उन्मोचन होने की संभावना है, तो अतिरिक्त निधि (5 *प्रतिशत* से अधिक) बनाए रखी जाएगी।

1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रारंभिक शेष ₹ 15.00 करोड़ था एवं वर्ष के दौरान शासन ने ₹ 485.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में निधि के अंतशेष ₹ 500.00 करोड़ था तथा इसे ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया है।

जी.आर.एफ. योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन को ₹ 328.36 करोड़ (31.03.2024 तक कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 21,890.52 करोड़ का 1.5 *प्रतिशत*) का अंशदान देना था, जिसके विरूद्ध ₹ 485.00 करोड़ का अंशदान किया गया। 31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रत्याभूति मोचन निधि का अंतशेष ₹ 500.00 करोड़ है।

(सी) **पेंशन निधि :** छत्तीसगढ़ शासन ने 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के अन्तर्गत पेंशन निधि की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियम के नियम 6 में कहा गया है कि सरकार इस निधि में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन संबंधी दायित्वों के लिए मुख्यशीर्ष 2071 में कुल दायित्वों के 5 *प्रतिशत* से कम राशि स्थानांतरित नहीं करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, निधि में ज्यादा राशि स्थानांतरित कर सकती है।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

पेंशन निधि को मुख्यशीर्ष 8229–200 अन्य विकास निधि के नीचे उप–शीर्ष स्तर पर बनाया गया है। 31.03.2024 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 2071 के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 9,111.82 करोड़ था, जिसका 5 *प्रतिशत* वर्ष 2024–25 में निधि में अंशदान के लिए ₹ 455.59 करोड़ है।

1 अप्रैल 2024 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 737.08 करोड़ था। वर्ष के दौरान, ₹ 455.59 करोड़ के आवश्यक अंशदान के विरूद्ध ₹ 340.00 करोड़ की राशि निधि में स्थानांतरित की गई। ₹ 115.59 करोड़ के कम अंशदान ने उस सीमा तक राजस्व व्यय कमी हुई। निवेश से प्राप्त ₹ 4.57 करोड़ का ब्याज निधि में जमा की गई।

(iii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) : भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम परिवर्तित कर केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) किया गया। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एवं रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अधोसंरचना हेतु किया जाएगा।

प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र से राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रथमतः मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात, प्राप्त राशि को राज्य शासन द्वारा कार्यात्मक मुख्यशीर्षों के माध्यम से लोक लेखा के अतर्गत मुख्यशीर्ष 8449–103–'केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि' में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन को केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में ₹ 177.28 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2023–24 के ₹ 210.16 करोड़ निधि को स्थानांतरित किये। यद्यपि राज्य शासन ने 31 मार्च 2025 तक लोक लेखा निधि में ₹ 177.28 करोड़ स्थानांतरण नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में कमी हुई।

(iv) उचंत एवं प्रेषण शेष : वर्ष 2024–25 के दौरान, वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र इत्यादि दस्तावेजों के अभाव में, प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा कोई भी राशि उचंत [मुख्यशीर्ष 8658, लघुशीर्ष 102 (आपत्ति पुस्तिका उचंत) एवं लघु शीर्ष 110 रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय] के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।

वित्त लेखे उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते है। विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामें एवं जमा शेषों को पृथक रूप से जोड़कर गणना किये जाने पर 31 मार्च 2025 तक तीन मुख्य शीर्षो (8658, 8782 एवं 8793) के अन्तर्गत ₹ 1,927.66 करोड़ (नामे) थी (31 मार्च 2024 तक ₹ 226.86 करोड़ (नामे))।

इन शीर्षो के अन्तर्गत बकाया शेषों का निराकरण न करने से राज्य शासन के विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों एवं शेषों (जिसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है) की शुद्धता को प्रभावित करता है।

(v) चैक्स् एवं बिल्स्/डिजिटल भुगतान : मुख्यशीर्ष 8670–चैक्स् एवं बिल्स् के अन्तर्गत जमा शेष यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स् को भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष ₹ 57.28 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2024–25 दौरान ₹ 1,23,378.77 करोड़ के चैक्स्/भुगतान फाइलें जारी किये गये जिसके विरूद्ध ₹ 1,23,378.87 करोड़ के चैक्स्/भुगतान फाइलें को भुनाये गये तथा 31 मार्च 2025 को अंतशेष राशि ₹ 57.18 करोड़ (जमा) रहा। अंतशेष, विभिन्न वित्तीय वर्षों में अनेक कार्यात्मक मुख्यशीर्षो के अन्तर्गत मूल रूप से दर्ज व्यय जिसका 31 मार्च 2025 तक छत्तीसगढ़ शासन से कोई नगद निकासी नहीं हुआ है, प्रदर्शित करता है।

डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से किये गये भुगतान आदेशों को संव्यवहार पूरा होने पर व्यय माना जाता है। यद्यपि, असफल के मामलें में जिसे 'ई–कुबेर असफल' संव्यवहार कहा जाता है, संव्यवहार का लेखा 8658–102 में उचंत के रूप में दर्ज किया जाता है। वर्ष 2024–25 में 'ई–कुबेर' असफल संव्यवहार के कारण ₹ 18.33 करोड़ की राशि उचंत के रूप में दर्ज की गई।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां–जारी

(vi) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर : भारत सरकार द्वारा कर्मकारों को लाभ प्रदाय किये जाने हेतु उपकर के उगाही एवं संग्रहण के लिए ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996'' (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, राज्य शासन मुख्यशीर्ष 8443 के अन्तर्गत श्रमिक उपकर के रूप में ₹ 49.53 करोड़ (2023–24 ₹ 59.99 करोड़) संग्रहित किया एवं भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को ₹ 50.15 करोड़ (2023–24 ₹ 58.01 करोड़) स्थानांतरित किया, जिसमें पूर्व वर्ष के ₹ 0.62 करोड़ सम्मिलित है। 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹ 4.56 करोड़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को अस्थानांतरित रहा जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में आधिक्य हुई।

(vii) अन्य उपकर/फीस/अधिभार : वर्ष 2024–25 के दौरान, शासन ने ₹ 361.34 करोड़ (वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 395.90 करोड़) संग्रहित किये, जिसमें अधोसंरचना विकास उपकर (₹ 180.67 करोड़) एवं पर्यावरण उपकर (₹ 180.67 करोड़) सम्मिलित है। वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट निधि में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई। ₹ 395.90 करोड़ का कम स्थानांतरण राजस्व व्यय को कम दर्शाता है।

`**(viii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) को प्रेषण :** खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)–एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1) के तहत, अगस्त 2015 में, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना की गई। अधिनियम की धारा 9 सी (4) कहा गया है कि खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो *प्रतिशत* के समान राशि का भुगतान न्यास को करेगा, जिस तरह से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (संशोधन) नियम, 2018 के नियम 7(1) में कहा गया है कि खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टा धारक, राज्य शासन को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के तहत रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि न्यास को इस उद्देश्य के लिए दर्ज किये गये शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के लोक लेखे में जमा किया जाएगा। राशि के प्राप्त होने पर, राज्य शासन उप–नियम (1) के तहत राज्य के लोक लेखे में संग्रहित की गई राशि को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित किया जायेगा।

लेखा प्रक्रिया के अनुसार, खनिकों द्वारा आवश्यक राशि सीधे राज्य के लोक लेखा में मुख्यशीर्ष 8449–123 एनएमईटी के अन्तर्गत जमा की जा रही है। तत्पश्चात, वृद्धि को समय–समय पर भारत के संचित निधि के अन्तर्गत एनएमईटी में स्थानांतरित किया जाता है। एनएमईटी निधि भारत के लोक लेखा के अन्तर्गत बनाई गई गैर–व्यपगत एवं गैर–ब्याज वाली निधि है।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई गई है। एन.एम.ई.टी. से संबंधित प्राप्तियां पट्टेदार द्वारा सीधे मुख्यशीर्ष 8449–123 के अन्तर्गत जमा की जाती है तथा राज्य शासन द्वारा इसे खनन मंत्रालय, भारत सरकार को स्थानांतरित किया जाता है। वर्ष 2024–25 के दौरान मुख्यशीर्ष 8449–123 के अन्तर्गत ₹ 140.01 करोड़ जमा किये गये तथा संपूर्ण राशि भारत सरकार को स्थाानांतरित किया गया।

(ix) प्रतिकुल शेष : प्रतिकुल शेष वह स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा शीर्ष पर शेष राशि ऋणात्मक शेष दर्शाती है, देयता शीर्षो के अन्तर्गत नामे/(–)जमा शेष या उन शीर्षो का प्रतिनिधित्व करता है जहॉ सामान्य रूप से जमा शेष होना चाहिए तथा संपत्ति शीर्षो के अन्तर्गत जमा/(–)नामे शेष या उन शीर्षो का प्रतिनिधित्व करता है जहॉ सामान्य रूप से नामे शेष होना चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों/अधिक लेखा इकाईयों का निर्माण इत्यादि के कारण उत्पन्न होता है। दिनांक 31.03.2025 तक प्रतिकूल शेष निम्नांकित दिये गये विवरण के अनुसार 10 शीर्षों में दर्शाये गये है –

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष	कारण
4202—01—797	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.12 (जमा)	परिक्षाधीन
4408—01—101	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.39 (जमा)	प्रभाजन के दौरान मध्य प्रदेश से अंशपूंजी में निवेश राशि का प्रभाजन नहीं किया गया था, तथापि, पूंजीगत परिसम्पित्ति की वापसी के कारण प्राप्तियां लेखे में प्रदर्शित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक शेष है।
4408—02—190	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत व्यय	0.12 (जमा)	
4425—107	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.04 (जमा)	
4425—108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.06 (जमा)	
4425—108	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)	
4425—200	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15 (जमा)	
4801—01—052	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)	परिक्षाधीन
5054—80—797	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03 (जमा)	प्रभाजन के दौरान, मध्य प्रदेश से ऋणात्मक शेष प्राप्त हुआ।
5055—800	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.08 (जमा)	परिक्षाधीन
6425—107	सहकारिता के लिए कर्ज—छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किया गया ऋणपत्र	1.09 (जमा)	प्रभाजन के दौरान, मध्य प्रदेश से ऋणात्मक शेष प्राप्त हुआ।
6425—107	सहकारिता के लिए कर्ज—एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम जगदलपुर	0.01 (जमा)	परिक्षाधीन
8223—102	अकाल राहत निधि (निवेश लेखा)	5.05 (जमा)	प्रभाजन के दौरान मध्य प्रदेश से निवेश राशि का आवंटन नहीं किया गया था, तथापि, परिपक्वता के कारण प्राप्तियां लेखे में प्रदर्शित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक शेष राशि है।
8342—120	विविध जमा	27.41 (नामे)	परिक्षाधीन
6004—02—101	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना फेज—II	4.40 (नामे)	ऋणात्मक शेष विनिमय दर में परिवर्तन के कारण होता है।
6004—02—101	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—ब्लाक ऋण के अन्तर्गत अन्य योजनाएं	19.58 (नामे)	

(x) **रोकड़ शेष :** प्रधान महालेखाकार के अभिलेखानुसार दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में रोकड़ शेष ₹ 223.19 करोड़ (नामे) था एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष ₹ 234.97 करोड़ (जमा) था। ₹ 11.78 करोड़ (जमा) का शुद्ध अंतर मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंको द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर को त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण रहा।

प्रधान महालेखाकार के अभिलेखानुसार 31 मार्च 2024 को रोकड़ शेष ₹ 194.40 करोड़ (नामे) थी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष ₹ 164.77 करोड़ (जमा) थी।

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

₹ 29.63 करोड़ (नामे) का निवल अंतर, मुख्यतः मान्यता प्राप्त बैंको द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपूर को प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के कारण हुई थी।

6. राज्य विशेष पैरा

(क) **पूंजीगत लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ऑफ बजट उधार हेतु ऋणों का पुनर्भुगतान :** छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पूंजीगत लेखा शीर्ष (मुख्यशीर्ष 4216, 4055 एवं 5054 : ₹ 3,972.07 करोड़) तथा राजस्व शीर्ष (मुख्यशीर्ष 2216, 2217 एवं 2801 : ₹ 638.99 करोड़) के अन्तर्गत ऑफ बजट उधार दायित्वों से संबंधित मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए ₹ 4,611.06 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

प्रमाणकों की जॉच यह प्रकाशित किया है कि राजस्व मुख्यशीर्षों (2216, 2217 एवं 2801) के माध्यम से ₹ 529.29 करोड़ तथा पूंजीगत शीर्षो (4055, 4216 तथा 5054) के माध्यम से ₹ 3,912.32 करोड़ का व्यय सात सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों को ऑफ बजट उधार के मूलधन के पुनर्भुगतान हेतु किया गया। संपूर्ण व्यय को राजस्व शीर्षो के अन्तर्गत सहायता अनुदान के स्थान पर कार्यात्मक शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक पूंजीगत व्यय में आधिक्य एवं राजस्व व्यय में कमी दर्शाया गया।

पूंजीगत शीर्षो के अन्तर्गत ऑफ बजट उधार संबंधित मूलधन राशि के पुनर्भुगतान का वर्गीकरण सरकारी लेखा नियम, 1990 में निर्धारित लेखांकन के सिद्धांतों के साथ असंगत है। इससे पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का त्रुटिपूर्ण विवरण उत्पन्न हुई एवं राजकोषीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता का अवमुल्यन हुई है।

(ख) **ऑफ बजट उधार हेतु दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान :** मुख्यशीर्ष 2049 ब्याज अदायगियां, एक भारित लेखाशीर्ष है एवं इसका उपयोग केवल भारित ब्याज दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, ऑफ बजट उधारों की ब्याज दायित्वों के भुगतान के लिए ₹ 899.84 करोड़ का बजट प्रावधान सहायता के स्थान पर मुख्यशीर्ष 2049 ब्याज अदायगियां के अन्तर्गत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान राज्य शासन ने सात संस्थाओं से संबंधित ऑफ बजट उधारों के कारण मुख्यशीर्ष 2049 के माध्यम से क्रमशः ₹ 718.49 करोड़ ब्याज भुगतान के लिए दत्तमत अनुदान के रूप में दर्ज किया है।

(ग) **उद्देश शीर्ष 35–001 ऋण पुनर्भुगतान के माध्यम से ऑफ बजट उधार से संबंधित संस्थाओं को बजट एवं भुगतान :** बजट तथा प्रमाणक जॉच यह प्रकाशित किया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने उद्देश शीर्ष 35–001 ऋण पुनर्भुगतान के अन्तर्गत बजट प्रकाशित किया है एवं ऑफ बजट उधार के मूलधन के पुनर्भुगतान से संबंधित अंतिम व्यय को सहायता अनुदान से संबंधित उद्देश शीर्ष अथवा किसी अन्य उपयुक्त लेखा शीर्ष का उपयोग किये जाने के स्थान पर उद्देश्य शीर्ष 35–001 ऋण पुनर्भुगतान के अन्तर्गत दर्ज किया है।

7. त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण का प्रभाव : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण/सांविधिक प्रावधानों के गैर अनुपालन का राज्य वित्त पर प्रभाव निम्न में सारणीबद्ध है :

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूंजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
3 (ii)	राजस्व एवं पूंजीगत के मध्य त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण	0.75	1,234.79	1,234.79	0.75	..	..	..	..

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—जारी

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूंजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
3 (viii)	राष्ट्रीय पेंशन योजना, राज्य आपदा उन्मोचन निधि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज दायित्वों	..	58.83	..	..	..	..	..	..
3 (xviii)	वर्ष 2022—23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा एकल नोडल एजेंसी को दी गई धनराशि के अव्ययित शेष का केन्द्रांश पर अर्जित ब्याज	..	..	..	..	..	..	0.21	..
	2023—24	..	..	..	..	..	..	1.53	..
5(i)	एन.एस.डी.एल. को राष्ट्रीय पेंशन योजना में कम स्थानांतरण	..	..	..	..	..	..	0.85	..
	2023—24 के अंत में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत बकाया शेष का स्थानांतरण न किया जाना	..	..	..	..	..	..	22.42	..
5(ii) (क) (ए)	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्ति का त्रुटीपूर्ण वर्गीकरण	..	..	..	..	..	3.57	..	..
5(ii) (क) (डी)	खनिज विकास निधि में कम स्थानांतरण	..	639.77	..	..	..	..	..	..
5(ii) (ख) (सी)	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि का कम अंशदान	..	115.59	..	..	..	..	..	..

वित्त लेखाओं के लिए टिप्पणियां—समाप्त

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद क्रमांक	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय का अत्युक्ति	राजस्व व्यय का न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय का अत्युक्ति	पूंजीगत व्यय का न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति का अत्युक्ति	राजस्व प्राप्ति का न्यूनोक्ति	रोकड़ शेष का अत्युक्ति	रोकड़ शेष का न्यूनोक्ति
5(iii)	केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के अनुदान का स्थानांतरण न होना	..	177.28	..	..	..	..	..	..
5(vi)	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड उपकर का अस्थानांतरण	..	..	..	..	..	..	4.56	..
5(vii)	अधोसंरचना विकास उपकर तथा पर्यावरण उपकर का कम स्थानांतरण	..	395.90	..	..	..	..	..	..
6(क)	ऑफ बजट उधार	..	3,912.32	3,912.32	..	..	..	..	..
योग (निवल) प्रभाव	**अत्युक्ति / यूनोक्ति**	**0.75**	**6,534.48**	**5,147.11**	**0.75**	**..**	**3.57**	**29.57**	**..**

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/hi